वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2010

मुख्यालय

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उत्तर प्रदेश

पंचम तल पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वी0के0 गुप्ता, आईपीएस
महानिरीक्षक कारागार,

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उत्तर प्रदेश, पंचम तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

संदेश

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–940 में कारागार प्रशासन से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने तथा इसे राज्य सरकार को भेजने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुपालन में विभाग में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट का प्रकाशन कराया गया है। विगत वर्षो में प्रकाशित वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट कारागारों की प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक स्थिति देखने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है तथा विभागीय योजनाओं की संरचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ ही यह संग्रह विभिन्न शिक्षण संस्थानों /विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं को भी अपने शोध प्रबन्धों में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2010 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में विभाग के समस्त महत्वपूर्ण क्रियाकलापों, महत्वपूर्ण निर्णयों तथा उपलब्धियों तथा आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त इसमें विभाग के फील्ड स्तर के अधिकारियों के अनुभव एवं व्यावसायिक ज्ञान तथा कार्य कौशल के आधार पर कारागार प्रबन्धन एवं सुधारात्मक सिद्धान्तों को भी अभिलिखित किया गया है ताकि यह विभाग के अधिकारियों को अपने व्यावसायिक ज्ञान एवं कार्य कौशल के उन्नयन एवं विकास में सहायता प्रदान कर सके। व्यावसायिक ज्ञान का अभिलेखीकरण किसी संगठन के लिए एक बैंच–मार्क का कार्य करता है, जहॉ से आगे नये अधिकारी अपना ज्ञान बढा सकें एवं कार्य कौशल को सुधार सकें।

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2010 को तैयार करने में कारागार मुख्यालय में तैनात शोध अधिकारी श्री के0 बी0 जोशी का सराहनीय योगदान रहा है। इस रिपोर्ट का व्यापक परीक्षण अपर महानिरीक्षक कारागार (प्र0), श्री योगेश कुमार शुक्ला, उप महानिरीक्षक कारागार श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा वरिष्ठ अधीक्षक कारागार (मु0) कै0 एस0के0 पाण्डेय द्वारा किया गया है। मुख्यालय में तैनात सांख्यकीय सहायक सै0 नसीम अहमद का आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण में एवं मुख्यालय के शोध, प्रशिक्षण एवं सुधार अनुभाग के सहायकों द्वारा इसे तैयार करने में सराहनीय योगदान दिया गया है।

लखनऊ : दिनांक–

(वी0के0 गुप्ता)
महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एंव सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

विषय–सूची

क्र0	अध्याय/विषय	पृष्ठ
	अध्याय–1– विभाग का सामान्य परिचय तथा आधारभूत सूचनायें	
1	प्रस्तावना	06–06
2	विभाग के उद्देश्य	06–06
3	कारागार प्रबन्धन के पथ प्रदर्शक सिद्धान्त	06–07
4	कारागार संस्थाए	07–07
5	केन्द्रीय कारागार	07–08
6	जिला कारागार	08–08
7	उप कारागार	08–08
8	आदर्श कारागार, लखनऊ	08–09
9	नारी बंदी निकेतन लखनऊ तथा महिला कारागारें	09–09
10	किशोर सदन, बरेली तथा अल्पवयस्क कारागारें	10–10
11	सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	10–10
12	जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ	10–10
13	संगठनात्मक ढ़ॉचा एवं विभागीय संगठन	11–11
14	मुख्यालय संगठन	11–11
15	परिक्षेत्रीय संगठन	11–11
16	मण्डलीय संगठन	11–12
	अध्याय–2– कार्मिक	
1	विभागीय कार्मिक शक्ति	13–13
2	विभाग में महत्वपूर्ण विभिन्न श्रेणी के रिक्त पद	13–13
3	नये पदों का सृजन	14–14
4	अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता	14–14
5	जनशक्ति के मानकों का निर्धारण का प्रस्ताव	14–15
6	स्थानान्तरण नीति	15–15
	अध्याय–3 बन्दी क्षमता, जनसंख्या तथा बंदियों से सम्बन्धित ऑकड़ें	
1	बन्दी क्षमता तथा जनसंख्या	16–16
2	विदेशी बन्दियों का विवरण	16–16
3	विभिन्न कारागारों में निरूद्ध विदेशी सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी	17–17
4	महिला बंदी तथा उनके साथ रह रहे बच्चों की संख्या	17–19
5	अवधिवार विचाराधीन बंदियों का निरूद्धि का विवरण	19–19
6	पैरोल के अन्तर्गत रिहा बंदियों का विवरण	19–19.
7	बंदियों की उम्र के आधार पर सजा का विवरण	20–20
	अध्याय–4– कारागारों में बन्दी पलायन तथा बंदी मृत्यु के प्रकरण	
1	कारागारों में बन्दी पलायन	21–21

2	कारागार अभिरक्षा में मृत्यु	21—22
	अध्याय–5– कारागारों में निरूद्ध महत्वपूर्ण बंदियों का विवरण	
1	कारागारों में निरूद्ध सांसद, विधायक तथा सरकारी अधिकारी/कर्मचारी	23—23
2	कारागारों में निरूद्ध सांसद/विधायक	23—23
3	कारागारों में निरूद्ध आतंकवादी बंदियों का विवरण	23—24
	अध्याय–6– बदी सुविधाएँ	
1	भोजन व्यवस्था	25—25
2	भोजन में मसालों की मात्रा में संशोधन	25—25
3	अतिरिक्त पाकशाला की व्यवस्था	25—26
4	चिकित्सा व्यवस्था	26—26
5	प्रवेश के समय बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण	26—26
6	चिकित्सा व्यवस्था–कठिनाई/आवश्यकता	26—27
7	मुलाकात व्यवस्था	27—27
8	कैण्टीन व्यवस्था	27—27
9	बंदी कल्याणकारी कोष	27—27
	अध्याय–7– बन्दी कल्याण एवं पुनर्वास तथा शैक्षिक कार्यक्रम	
1	बन्दियों का कौशल विकास	28—28
2	बंदी पारिश्रमिक	28—28
3	व्यावसायिक प्रशिक्षण	28—28
4	अभिव्यक्ति विकास	28—29
5	अर्न्तनिहित प्रतिभाओं के प्रस्तुतीकरण के अवसर	29—29
6	प्रिजन रूटीन	29—29
7	खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	29—29
8	सामुदायिक सहभागिता	30—30
9	बंदियों की साक्षरता	30—30
10	शैक्षिक कार्यक्रम	30—30
	अध्याय–8– कारागार उद्योग	
1	कारागार उद्योग	31—32
2	कारागार उद्योग– विशिष्ट समस्या	32—32
	अध्याय–9– कारागार कृषि	
1	कारागार कृषि	33—34
2	कारागारों में सब्जी वितरण की व्यवस्था	34—34
3	खुले शिविर की स्थापना	34—34
	अध्याय–10– बंदियों की समयपूर्व रिहाई तथा धारा 436 ए व 436 (1) के अन्तर्गत रिहाई	
1	बंदियों की समय पूर्व रिहाई	35—35
2	सी0आर0पी0सी0 की धारा–436 ए तथा 436(1) से आच्छादित बंदियों की रिहाई	35—35

	अध्याय–11– विभागीय बजट व्यवस्था	
1	विभागीय बजट व्यवस्था	36–37
	अध्याय–12–निर्माण कार्य	
1	निर्माणाधीन जिला कारागारें	38–38
2	कारागार विहीन जनपदों में कारागार निर्माण हेतु भूमि व्यवस्था की स्थिति	39–39
3	शहर के मध्य आ गयी कारागारों का स्थानान्तरण	39–39
	अध्याय–13 –कारागारों की निरीक्षण व्यवस्था	
1	कारागारों में निरीक्षण व्यवस्था	40–40
2	मासिक/त्रैमासिक बैठकों का आयोजन	40–40
3	कारागारों का संयुक्त त्रैमासिक निरीक्षण	40–40
4	जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण	40–40
	अध्याय–14–विविध	
1	सूचना अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	41–41
2	बन्दियों के मानवाधिकारों का संरक्षण	41–41
3	कार्मिक प्रशिक्षण	41–41
4	बन्दी खेलकूद–स्पोर्टस कैलेण्डर	42–42
5	आल इण्डिया प्रिजन ड्यूटी मीट–2010	42–42
6	कारागार प्रकाशन	42–42
7	सेवानिवृत्त कर्मियों के लम्बित सेवा लाभों का निस्तारण	42–42
8	वीडियो कान्फ्रेसिंग योजना	43–43
9	विभाग की आवश्यकताएँ (शासन को प्रेषित महत्वपूर्ण प्रस्ताव)	43–43
10	नये पदो का सृजन	43–43
	परिशिष्ट–सूची	
1	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का प्रशासकीय संगठनात्मक ढॉचा	44–44
2	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में सृजित, भरे व रिक्त पदों तथा उनके वेतनमान का विवरण	45–49
3	कारागारवार सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों की औसत जनसंख्या का विवरण	50–52
4	भोजन का मानक (प्रति बन्दी, प्रति दिन/प्रतिमाह का विवरण)	53–53

अध्याय–1
विभाग का सामान्य परिचय तथा आधारभूत सूचनायें

प्रस्तावना

जेल मैनुअल के प्रस्तर–940 में प्रत्येक वर्ष जेल प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों, गतिविधियों, महत्वपूर्ण योजनाओ, समस्याओं तथा उपलब्धियों से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत की जा रही वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2010 में वर्ष भर में कारागार संस्थाओं की अद्यतन स्थिति, विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था, नये पदों का सृजन तथा भर्ती, बन्दी जनसंख्या से सम्बन्धित आंकड़ें, बन्दी मृत्यु, अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों की स्थिति, कारागार उद्योग तथा कृषि बन्दियों की रिहाई, विभिन्न निर्माण कार्य, विभागीय योजनाएं तथा महत्वपूर्ण कार्य एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

कारागार विभाग का प्रमुख उत्तरदायित्व कारागार अधिनियम 1894 एवं उसके अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध लगभग 83000 से अधिक सिद्वदोष एवं विचाराधीन पुरूष, महिला, अल्पवयस्क तथा महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों का सुरक्षित रख–रखाव सुनिश्चित करना है। साथ ही शासन की वर्तमान सुधारवादी नीतियों के अनुरूप कारागारों में निरूद्व इन बन्दियों के सुधार, कल्याण, व्यक्तिव परिमार्जन, विकास तथा पुनर्वासन के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुये उन्हें लाभान्वित करना है। इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुये वर्ष 2010 में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कारागार प्रशासन के विभिन्न कार्यो के मानकीकरण करने के प्रयास किये गये हैं तथा विभाग में ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने के प्रयास किये गये, जिससे कारागारों में निरूद्व बन्दी मानवीय गरिमा का अहसास करते हुये कारागारों में अपना समय बितायें तथा निरूद्वि अवधि में निरन्तर अपने कौशल का विकास कर सकें।

विभाग के उद्देश्य

कारागार प्रशासन व्यवस्था आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। कारागार प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य कारागारों में निरूद्ध बंदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण करते हुये उन्हें जेल मैनुअल द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधायें उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही उनके उत्थान के लिये नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हुये कारागारों में ऐसा माहौल बनाना है कि बन्दी कारागार को एक यातना गृह न समझ कर अपने सुधार का केन्द्र समझे तथा कारागार में चल रहे सुधारात्मक कार्यक्रमों का रूचिपूर्वक लाभ उठायें।

कारागार प्रबन्धन के पथ प्रदर्शक सिद्वान्त

कारागारों को आधुनिक मनवोचित तरीके से संचालित करने का प्रयास किया गया है। प्रबन्धन में निम्नांकित सिद्धान्तों को विशेषकर लागू किया जा रहा है।

1– प्रदेश की कारागारों को इन्डोर अस्पताल तथा बोर्डिंग विद्यालय की तरह संचालित करने का प्रयास किया जाये। इसी दृष्टिकोण से प्रबंधन एवं सुधारात्मक गतिविधियों को परिकल्पित किया गया है।

2– कारागार कर्मियों को यह बोध कराया जा रहा है कि यह उनका उत्तरदायित्व है कि वे बन्दियों को मानवोचित सम्मान देते हुये उनकी सभी समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुने एवं यथासम्भव उनका समाधान करें। बंदियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या हिंसा न हो। इसी सिद्धान्त के अनुसार कारागारों में बन्दियों के मानवाधिकारों का संरक्षण करते हुये उनके सुधार तथा कल्याण हेतु के प्रयास किये जा रहे हैं।

3– कारागारों में तैनात चिकित्साधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया है कि यह उनका कर्तव्य है कि निरूद्ध रोगी बन्दियों की समस्याओं को गम्भीरता से सुने एवं उन्हें उचित परामर्श दें। बंदियों की शिकायतों से वे उत्तेजित न हों।

4– बंदियों को अपनी समस्यायें (वास्तविक या परिकल्पित) कारागार अधिकारियों/चिकित्सको के समक्ष प्रस्तुत करने में पूर्ण छूट प्रदान की जाये। बंदियों की मुखर किन्तु अहिंसक अभिव्यक्ति को अनुसाशनहीनता न समझा जाये। कारागार अधिकारियों का दायित्व है कि वे बंदियों की शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक सुनें एवं यथासम्भव समाधान करें। बंदियों द्वारा आवेशपूर्वक या रोषपूर्वक या अन्य ऐसे अहिंसक किन्तु सामन्यतया अस्वीकार्य तरीके से अभिव्यक्ति को मानव सुलभ विसंगति मानते हुये ग्रहण किया जाये एवं इस आधार पर बंदी को दण्डित, तिरस्कृत या उत्पीड़ित न किया जाये। ऐसे में हिंसक /अपमानजनक प्रतिक्रिया करना हीन भावना का द्योतक है।

5– उग्र एवं हिंसक बन्दी को शारीरिक चोट पहुचाये बिना काबू में करना आवश्यक है। इसे कारागार अधिकारियों के प्रशिक्षण में शामिल किया गया है।

6– कारागार में प्रवेश के उपरांत बन्दी की मनोदशा में सुधार लाया जाये। उनको ऐसे व्यवहरित किया जाये कि उनके अन्दर पश्चाताप की भावना जागृत हो और वह दूसरों के लिये भी उदाहरण बन सकें।

7– बन्दियों की प्रतिभा का संरक्षण एवं कार्य कौशल का स्तरोन्नयन हमारा सतत् प्रयास है। हमारे सुधारात्मक कार्य तथा सामान्य प्रबन्धन इस बिन्दु को केन्द्र में रखकर चलाये जा रहे हैं।

कारागार संस्थाएं

वर्तमान में कारागार विभाग में कुल 64 कारागारें क्रियाशील है। इन 64 संस्थाओं में 05 केन्द्रीय कारागार, 53 जिला कारागार, 03 उप कारागार, 01 आदर्श कारागार, 01 नारी बंदी निकेतन, लखनऊ तथा 01 किशोर सदन बरेली सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त परिक्षेत्रीय स्तर पर नियंत्रण हेतु विभिन्न कारगाारों को 06 परिक्षेत्रों (आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा लखनऊ) में विभाजित किया गया है तथा परिक्षेत्र स्तर पर उप महानिरीक्षक कारागार स्तर के अधिकारी के नियंत्रण में 06 परिक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है। साथ ही कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ तथा विभिन्न कारागारों में बंदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन व विक्रय हेतु एक जेल डिपो लखनऊ भी स्थापित है। इस प्रकार कारागार मुख्यालय सहित विभाग में कुल 71 कारागार संस्थाएं संचालित है।

केन्द्रीय कारागार

वर्तमान में प्रदेश में 05 केन्द्रीय कारागार क्रियाशील हैं। प्रदेश में वर्ष 1848 में केन्द्रीय कारागार बरेली, वर्ष 1854 में केन्द्रीय कारागार, आगरा, वर्ष 1867 में केन्द्रीय कारागार लखनऊ, वर्ष 1868 में केन्द्रीय

कारागार फतेहगढ़, वर्ष 1869 में केन्द्रीय कारागार नैनी (इलाहाबाद) तथा वर्ष 1877 में केन्द्रीय कारागार, वाराणसी की स्थापना की गयी। केन्द्रीय कारागारों में लम्बी सजा (07 वर्ष से अधिक) के सिद्धदोष बन्दी निरूद्ध किये जाते हैं। वर्ष 1949 में केन्द्रीय कारागार लखनऊ को आदर्श कारागार, लखनऊ के रूप में परिवर्तित किया गया। दिसम्बर, 2010 में सभी केन्द्रीय कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दी निरूद्ध रहे हैं। केन्द्रीय कारागारों में स्थापित उद्योगों में निरूद्ध बंदियों को कौशल विकास तथा पारिश्रमिक अर्जन के अवसर उपलब्ध कराये जाते है। दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 05 केन्द्रीय कारागारें में कुल 6977 बंदी क्षमता के सापेक्ष 14974 बंदी निरूद्ध रहें, जो क्षमता के सापेक्ष 2.15 गुना रहा।

जिला कारागार

वर्ष 2010 में प्रदेश के 71 जनपदों में से 53 जनपदों में जिला कारागारें क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 06 जनपदों में क्रमशः कौशाम्बी, सोनभद्र, बागपत, महाराजगंज, तथा कन्नौज में जिला कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनका पूर्ण होकर शीघ्र ही क्रियाशील होना सम्भावित है। जिला कारागारों में अधिकांश संख्या में विचाराधीन बंदी निरूद्ध किये जाते हैं तथा इनके साथ 07 वर्ष से कम सजा के दण्डित सिद्वदोष बन्दी भी निरूद्ध होते हैं। सभी जिला कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दी निरूद्ध होने के कारण ओवर क्राउड़िग की स्थिति बनी रही। दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 53 जिला कारागारें में कुल 36756 बंदी क्षमता के सापेक्ष 66302 बंदी निरूद्ध रहें, जो क्षमता के सापेक्ष 1.80 गुना रहा। ओवर क्राउडिंग के कारण कारागार की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के रहन सहन की दशा, सुधार व कल्याण के कार्यक्रम आदि प्रभावित होते है। ओवर क्राउडिंग की समस्या के निराकरण हेतु निर्माणाधीन जिला कारागारों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयासों के साथ–साथ घनी आबादी में आ गयी कारागरों को अपेक्षित क्षमता के साथ शहर के बाहर स्थानान्तरण किया जाना तथा नव सृजित कारागारविहीन जनपदों में जिला कारागारों के निर्माण हेतु भूमि चयन आदि की कार्यवाही की गयी।

उप कारागार

वर्तमान में प्रदेश में तीन उप कारागारें क्रमशः जिला संत रविदास नगर में उप कारागार ज्ञानपुर, जिला सहारनपुर में उप कारागार देवबंद तथा जिला महोबा में उप कारागार महोबा स्थापित है। ज्ञानपुर तथा महोबा के जनपद घोषित हो जाने के पश्चात ये उप कारागार इन जनपदों के लिये जिला कारागार के रूप में कार्य कर रहीं हैं। प्रदेश में संचालित 03 उप कारागारों की कुल बंदी क्षमता 368 थी जिसके सापेक्ष इन कारागारों में 1.77 गुना अर्थात् 650 बंदी दिनांक 31.12.2010 को निरूद्ध थे।

आदर्श कारागार, लखनऊ

शासन की सुधारवादी नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, लखनऊ को वर्ष 1949 में आदर्श कारागार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध अच्छे आचरण के 45 वर्ष से कम आयु के, जिन्होने कम से कम 1 वर्ष की सजा किसी केन्द्रीय कारागार में काटी हो, को आदर्श कारागार में निरूद्ध किया जाता है। कारागार में निरूद्ध संवासियों को सजा के दौरान अधिकतम से न्यूनतम सुधार उपचारों के 5 अनुक्रमिक सोपानों–अगवानी भवन, यमुना भवन, गंगा भवन, आजाद बैरक तथा कृषि फार्म से गुजरना पड़ता है। प्रारम्भिक स्तर पर बंदी अगवानी भवन में 6 माह तक साक्षरता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कायक्रमों के अन्तर्गत कुशलता अर्जित करते हैं। अगवानी भवन से बंदियों को यमुना भवन में

स्थानान्तरित किया जाता है, जहां वे विभिन्न उद्यमों में प्रशिक्षित किये जाते हैं। अपेक्षित दक्षता अर्जित कर लेने पर बंदियों को गंगा भवन में स्थानान्तरित किया जाता है जहां वे पारिश्रमिक अर्जित करते हैं। आजाद बैरक में संवासी बैण्ड प्रदर्शन, सब्जी विक्रय व दुकानदारी आदि कार्यो हेतु दिन में जेल परिसर से बाहर शहर में जाते हैं। कृषि फार्म कारागार जीवन का अन्तिम सोपान होता है। यहां बंदियों की सहकारी समिति गठित है।

आदर्श कारागार में निरूद्ध बंदियों को वर्ष में एक बार 15 दिन का गृह अवकाश एवं नियमानुसार विशेष परिहार दिये जाने की व्यवस्था है। आदर्श कारागार लखनऊ के नये परिसर का निर्माण भी जिला कारागार लखनऊ के साथ कराया गया है। नवनिर्मित आदर्श कारागार लखनऊ कारागार की सुरक्षा के आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था के साथ ही बन्दी सुविधाओं की समस्त आवश्यकताओं का समावेश करने का प्रयास किया गया है। नवनिर्मित आदर्श कारागार के नये परिसर की बंदी क्षमता 600 रखी गयी है। इसके सापेक्ष कारागार में 379 बंदी निरूद्ध हो रहे है। प्रदेश की केन्द्रीय तथा जिला कारागारों से आदर्श कारागार के लिये पात्र बंदियों को भेजने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की गयी ताकि आदर्श कारागार में उपलब्ध बदी क्षमता का पूर्ण सदुपयोग हो सकें।

नारी बंदी निकेतन लखनऊ तथा महिला कारागारें

तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये दण्डित सिद्धदोष महिला बंदियों के निरूद्धीकरण हेतु आदर्श कारागार लखनऊ परिसर में नारी बंदी निकेतन स्थापित है। निकेतन में निरूद्ध महिला बंदियों के सुधार एवं पुनर्वासन हेतु विभिन्न उद्यमों में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। निकेतन में निरूद्ध महिला बंदियों के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रखने हेतु एक क्रेच (पालनाघर) स्थापित है जहॉ प्रशिक्षित नर्सों की देखरेख में बच्चों को रखा जाता है तथा बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। बच्चों के समुचित एवं सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत तीन वर्ष से ऊपर के बच्चों को कारागार परिसर से बाहर सामान्य बच्चों की तरह स्कूल भी भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त जिला कारागार, अलीगढ़, लखनऊ तथा फैजाबाद के परिसरों में ही पृथक महिला कारागार स्थापित की गई हैं। शेष कारागारों में महिला बंदियों को उसी कारागार के एक अलग अहाते के अंतर्गत अलग बैरक में रखा जाता है।

नारी बंदी निकेतन, लखनऊ का नव निर्मित परिसर आदर्श कारागार लखनऊ के साथ ही निर्मित कराया गया है। नव निर्मित नारी बंदी निकेतन में बंदी सुविधाओं तथा सुरक्षा आदि से सम्बन्धित सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। नारी बंदी निकेतन के वर्तमान परिसर में महिला बंदियों के रहने हेतु 420 की क्षमता उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष दिनांक 31.12.2010 को 342 बंदी निरूद्ध रहे जो उपलब्ध क्षमता का 0.81 गुना था। प्रदेश की अन्य कारागारों से आदर्श कारागार में निरूद्धि हेतु पात्र महिला बंदियों को भेजने के सम्बन्ध में अधीनस्थ कारागारों को प्रभावी निर्देश निर्गत किये गये। नारी बंदी निकेतन में निरूद्ध महिला बंदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये गये ताकि इन महिला बंदियों का कौशल विकास हो सकें तथा निरूद्धि के दौरान पारिश्रमिक अर्जित करने के अतिरिक्त कारागार से मुक्त होने पर यह महिला बंदी अर्जित कौशल का उपयोग अपने जीवन यापन हेतु कर सकें।

किशोर सदन, बरेली तथा अल्पवयस्क कारागारें

19 वर्ष से कम आयु तथा एक वर्ष से अधिक सजावधि के ऐसे आकस्मिक सिद्धदोष किशोर बन्दियों को 23 वर्ष की आयु तक किशोर सदन बरेली में निरूद्ध किया जाता है। सदन में निरूद्ध किशोर बंदियों को कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु एक जूनियर हाईस्कूल संचालित है। सदन में संवासियों को शिक्षा के साथ–साथ स्काउट एवं एन0सी0सी0, बैण्ड, सिलाई व चमड़ा उधोग में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। किशोर सदन के अतिरिक्त केन्द्रीय कारागार नैनी एवं 17 जिला कारागार परिसरों में पृथक अल्पवस्यक कारागारों की स्थापना की गयी है। इनमें 18 वर्ष तक की आयु के बंदियों को निरूद्ध किया जाता है।

शेष जिला कारागारों में इस आयु वर्ग के बंदियों को अलग बैरकों में रखा जाता है। दिनांक 31.12. 2010 को किशोर सदन बरेली में उपलब्ध 188 बंदी क्षमता के सापेक्ष मात्र 26 बंदी निरूद्ध रहे। प्रदेश की अधीनस्थ सभी कारागार अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे किशोर सदन के लिये पात्र बंदियों को प्राथमिकता पर किशोर सदन भेजने की कार्यवाही करें ताकि उपलब्ध क्षमता का उपयोग हो सकें।

सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

प्रदेश के कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वर्ष 1940 में कारागार प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गयी। वर्तमान में यह सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह प्रशिक्षण संस्थान कारागार प्रशिक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी तथा सबसे पुराना संस्थान है। संस्थान में बंदीरक्षक संवर्ग के कार्मियों तथा उप कारापाल व सीधी भर्ती के वरिष्ठ अधीक्षकों के लिये आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नियमावली 2008 के अन्तर्गत विभाग के सभी सेवा संवर्गो के कर्मियों हेतु सीधी भर्ती एवं नवपदोन्नत स्तर पर प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गयी है। संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में विस्तार तथा वर्तमान परिवेश को देखते हुये पाठ्यक्रम में मानवाधिकार तथा कम्प्यूटर दक्षता विषयों को सम्मिलित किया गया है।

सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में वर्ष 2010 में प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के अधिकारियों के 03 आधारभूत प्रशिक्षणों में 28 अधिकारी, बंदीरक्षकों के 02 आधारभूत प्रशिक्षणों में 59 बंदीरक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त बंदीरक्षकों के 23 अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 283 बंदीरक्षक प्रशिक्षित किये गये। बंदीरक्षक संवर्ग के कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत, जिसमें मानवाधिकार, कम्पयूटर तथा कारागार प्रशासन के प्रचलित नये विषय सम्मलित है, के अनुसार प्रशिक्षण कराने के प्रयास किये गये।

जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ

प्रदेश की विभिन्न केन्द्रीय/जिला कारागारों में बंदियों द्वारा उत्पादित विभिन्न औद्योगिक व दस्तकारी उत्पादों की विभिन्न कारागारों तथा अन्य शासकीय विभागों की मांग की पूर्ति के पश्चात अवशेष उत्पादों को जेल डिपो अमीनाबाद, लखनऊ के माध्यम से जन सामान्य को प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाता है।

संगठनात्मक ढ़ॉचा एवं विभागीय संगठन

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के संगठनात्मक ढ़ॉचे का संक्षिप्त स्वरूप परिशिष्ट '1' में अवलोकनीय है। विभाग में त्रिस्तरीय संगठन विद्यमान है जिसमें कारागार मुख्यालय, परिक्षेत्रीय कार्यालय तथा मण्डलीय कारागारों के स्तर पर प्रशासनिक क्रियाकलापों का निर्वहन किया जाता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

मुख्यालय संगठन

कारागार मुख्यालय में महानिदेशक कारागार के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती होती है। वर्ष 2007 में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विभागाध्यक्ष के रूप में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती हो रही है। विभागाध्यक्ष के सहयोग हेतु मुख्यालय में अपर महानिरीक्षक कारागार(प्र0), अपर महानिदेशक कारागार(वि0), अपर महानिदेशक कारागार(प्र0/वि0), उप महानिरीक्षक कारागार (मुख्यालय), वित्त नियंत्रक, वरिष्ठ अधीक्षक, अधिशाषी अभियन्ता, निदेशक कारागार उद्योग, शोध अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक अभियन्ता, कृषि अधिकारी, कल्याण अधिकारी (महिला बंदी) तथा विशेष कार्याधिकारी, मानवाधिकार के साथ ही कारागार मुख्यालय में शासकीय कार्य के सम्पादन हेतु 17 अनुभाग एवं 03 प्रकोष्ठ गठित हैं।

परिक्षेत्रीय संगठन

प्रदेश की कारागारों के पर्यवेक्षण एवं विभिन्न क्रियाकलापों की मानीटरिंग हेतु प्रदेश को 06 कारागार परिक्षेत्रों (आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक परिक्षेत्र को उप महानिरीक्षक कारागार स्तर के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। परिक्षेत्रीय स्तर पर शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु आशुलिपिक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद सृजित किये गये हैं। परिक्षेत्रीय स्तर पर मिनिस्ट्रीरियल सम्वर्ग में पदों की नितान्त कमी है, जिससे उप महानिरीक्षक स्तर पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण रिपोर्ट, बैठकों की सूचनायें तथा अन्य क्रियाकलापों के सम्पादन में कठिनाई हो रही है, जिसके लिये परिक्षेत्रीय कार्यालयों में अतिरिक्त पदों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

मण्डलीय संगठन

विभाग के कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी मामलों के त्वरित व्यवहरण हेतु कारागारों के बन्दीरक्षक सम्वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति का अधिकार मण्डलीय कारागारों में वरिष्ठ अधीक्षकों में निहित किया गया है। इन कार्यो के निस्तारण हेतु वरिष्ठ अधीक्षक के सहयोग हेतु कारागारों में सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त आशुलिपिक, लिपिकीय, सहायक लेखाकार, उर्दू अनुवादक आदि पद भी सृजित हैं। प्रदेश की समस्त कारागारों के उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु 17 कारागारें मण्डलीय कारागार के रूप में कार्य कर रही है, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0	मण्डल	मण्डलीय कारागार
1	लखनऊ	आदर्श कारागार, लखनऊ
2	कानपुर	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ

क्र0	मण्डल	मण्डलीय कारागार
10	वाराणसी	केन्द्रीय कारागार वाराणसी
11	मीरजापुर	केन्द्रीय कारागार वाराणसी

3	आगरा	केन्द्रीय कारागार आगरा
4	झॉसी	जिला कारागार झॉसी
5	चित्रकूट	जिला कारागार बांदा
6	बरेली	केन्द्रीय कारागार बरेली
7	मेरठ	जिला कारागार मेरठ
8	मुरादाबाद	जिला कारागार मुरादाबाद
9	इलाहाबाद	केन्द्रीय कारागार नैनी

12	देवीपाटन	जिला कारागार गोण्डा
13	गोरखपुर	जिला कारागार गोरखपुर
14	आजमगढ़	जिला कारागार आजमगढ
15	फैजाबाद	जिला कारागार फैजाबाद
16	सहारनपुर	जिला कारागार, सहारनपुर
17	बस्ती	जिला कारागार बस्ती
18	अलीगढ़	जिला कारागार अलीगढ़

.....0.....

अध्याय–2
कार्मिक

विभागीय कार्मिक शक्ति

विभाग के क्रियाकलापों के संचालन हेतु विभिन्न सेवा संवर्गो में पद सृजित है। वर्तमान में विभाग में विभागाध्यक्ष के उत्तरदायित्वों का निर्वहन आईपीएस सेवा सम्वर्ग के पुलिस अपर महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभाग में अपर महानिरीक्षक कारागार (प्रशासन) के पद पर पीसीएस सेवा सम्वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती होती है। इनके सहयोग हेतु विभिन्न सम्वर्गो में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पद सृजित है। दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार समूहवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है तथा विभाग में विभिन्न संवर्गो में सृजित, कार्यरत, रिक्त व वेतन संरचना का विवरण परिशिष्ट–2 में अवलोकनीय है।

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
समूह–क	154	98	56
समूह–ख	172	120	52
समूह–ग	9515	6442	3073
समूह–घ	646	527	119
योग	10487	7187	3300

विभाग में महत्वपूर्ण विभिन्न श्रेणी के रिक्त पद

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	वरिष्ठ अधीक्षक	21	15	6
2	अधीक्षक	64	39	25
3	कारापाल	86	69	17
4	उप कारापाल	432	216	216
5	प्रधान बन्दीरक्षक	869	561	308
6	बन्दीरक्षक	5269	4049	1220
7	रिजर्व प्रधान बन्दीरक्षक	132	97	35
8	रिजर्व बन्दीरक्षक	684	537	147
9	महिला प्रधान बन्दीरक्षक	91	47	44
10	महिला बन्दीरक्षक	353	213	140
11	फार्मासिस्ट	131	106	25
12	सहायक लेखाकार	65	50	15
13	शोध सहायक	4	0	4
14	वरिष्ठ परामर्शदाता	60	27	33
15	परामर्शदाता	60	45	15
16	चिकित्साधिकारी	13	6	7
17	अध्यापक	56	51	5
योग		8390	6128	2262

नये पदों का सृजन

वर्ष 2009–10 में शासन द्वारा नारी बंदी निकेतन लखनऊ के लिये अधीक्षक सहित कुल 124, जिला कारागार लखनऊ के लिये वरिष्ठ अधीक्षक सहित कुल 364 एवं जिला कारागार सिद्वार्थनगर व कानपुर देहात के लिये 02 फार्मासिस्ट कुल 490 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0	कारागार का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	कुल पद
1	नारी बन्दी निकेतन लखनऊ	संख्या–1307 /22–1–2009–160/2008, दि0 15.05.09	124
2	जिला कारागार लखनऊ	संख्या–5054/22–1–2008 160/2008, दि0 01 मई, 09	364
3	जि0का0 सिद्वार्थनगर एवं कानपुर देहात	संख्या–3011/22–1–2008–109/2003 दिनांक 25.02.09	02
		योग	490

अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता

विभाग में विभिन्न सेवा सम्वर्ग के सृजित पदों की संख्या कार्य दायित्वों के दृष्टिगत नितान्त कम है। विशेष रूप से सुरक्षा संवर्ग के पदों यथा– अधीक्षक, कारापाल, उप कारापाल, प्रधान बंदीरक्षक तथा बन्दीरक्षक के पदों की संख्या नितान्त कम होने से प्रशासनिक कार्यो के सम्पादन में अत्यन्त कठिनाई होती है। विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत शासन को प्रेषित अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्तावों पर अनुमोदन आवश्यक है। साथ ही कारागार मुख्यालय में निरन्तर कार्य दायित्व बढ़ने के कारण अतिरिक्त रूप से अनुभागों के सृजन की आवश्यकता है। मानवाधिकार सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानवाधिकार अनुभाग का गठन किया गया है, परन्तु अभी तक इसके लिये अपेक्षित स्टाफ की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है। इसी प्रकार जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण जनसूचना अनुभाग गठित कर कराया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं की संरचना तथा योजना क्रियान्वयन हेतु आधुनिकीकरण अनुभाग तथा कोर्ट केसेज प्रकरणों के निस्तारण हेतु विधि प्रकोष्ठ गठित है। इस प्रकार मानवाधिकार, जनसूचना तथा आधुनिकीकरण अनुभाग एंव विधि प्रकोष्ठ के कार्यों के सम्पादन हेतु अतिरिक्त स्टाफ के पदों के सृजन की तात्कालिक आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करते हुए शासन से आवश्यक पदों के सृजन की मॉग की गयी है, जो शासन के विचाराधीन है।

जनशक्ति के मानकों का निर्धारण का प्रस्ताव

उल्लेखनीय हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश कारागारें 100–150 वर्ष पुरानी है। कारागारों के निर्माण के समय ही कारागारों के लिये जनशक्ति सृजित की गयी थी, जो कारागारों में तत्समय् निरूद्ध बंदियों की संख्या को देखते हुए निर्धारित की गयी थी। वर्तमान में यह संख्या नितान्त कम हो गयी है क्योंकि कारागार प्रशासन के विभिन्न दायित्वों में वृद्धि के साथ–साथ कारागारों में बंदी जनसंख्या बहुत अधिक हो गयी है। ऐसी स्थिति में कारागारों के वरिष्ठ अधीक्षकों / अधीक्षकों द्वारा निरन्तर अतिरिक्त पदों के सृजन की मॉग की जा रही है। यह भी संज्ञान में लाना प्रासंगिक है कि किसी भी समय सेवानिवृत्त आदि के कारण कुछ पद रिक्त बने रहते है। भर्ती की कार्यवाही में समय लगने के कारण कम स्टाफ होने के कारण प्रशासनिक

एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। विभाग में बढे हुये कार्य दायित्वों एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत विभाग के लिये जनशक्ति के मानक निर्धारण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है, जिस पर शासन की स्वीकृति विचाराधीन है।

स्थानान्तरण नीति

कारागार विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत अन्य विभागों से अलग स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश की कारागारों में खतरनाक तथा माफिया बन्दी निरूद्व रहते है, जिनसे कारागार के अन्दर रहते हुये भी अपराधिक षडयत्रों को अंजाम देने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी बन्दियों तथा कार्मिकों के बीच संलिप्तता की स्थितियां भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में विभाग के लिये अन्य विभागों से इतर स्थायी स्थानान्तरण नीति बनाये जाने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या–11922/स्था0 नीति, दिनांक 22.05.2008 प्रेषित की गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा शासनादेश संख्या–2438/22–1–2008–2/2008, दिनांक 18.07.2008 द्वारा अधीक्षक, कारापाल, उप कारापाल, बन्दीरक्षक सम्वर्ग, पैरामेडिकल स्टाफ/फार्मोसिस्ट तथा आशुलिपिक एवं लिपिकीय व लेखा सम्वर्ग के कर्मियों के स्थानान्तरण के लिये समयावधि का निर्धारण करते हुये आदेश निर्गत किये गये। इसी क्रम में पत्र संख्या–29619/गो0(1) दिनांक–04.11.09 द्वारा तथा तद्विषयक अनुस्मारक पत्रों द्वारा स्थानान्तरण नीति अनुमोदित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित है। इस स्थानांतरण नीति को स्थायी स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रकरण शासन में लम्बित है। विभाग की अपनी स्थायी स्थानांतरण नीति होना आवश्यक है।

.....0.....

अध्याय–3

बन्दी क्षमता, जनसंख्या तथा बंदियों से सम्बन्धित ऑकड़ें

प्रदेश की लगभग सभी कारागारों में क्षमता से अधिक बंदी निरूद्ध हैं। विचाराधीन बंदियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा फास्टट्रैक न्यायालयों के गठन से वादों के त्वरित निस्तारण से सिद्धदोष बंदियों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010 में प्रदेश की कारागारों की कुल औसत बन्दी क्षमता 45221 के सापेक्ष कारागारों में कुल औसत जनसंख्या 83750 (1.85 गुना) थी, जिसमें 25968 सिद्वदोश तथा 57782 विचाराधीन बंदी सम्मिलित थे। वर्ष 2010 में माहवार कारागारों की बंदी क्षमता तथा जनसंख्या का विवरण निम्नवत है तथा विगत 03 वर्षो का औसत कारागारवार औसत जनसंख्या विवरण निम्न तालिका में अवलोकनीय है तथा विगत 03 वर्षो में कारागारवार औसत बंदी जनसंख्या का विवरण परिशिष्ट–3 में अवलोकनीय है।

क्र0	माह	बंदी क्षमता	बंदियों की संख्या		योग	ओवरक्राउड़िग (गुना)
			सिद्धदोष	विचाराधीन		
1	जनवरी	44445	24910	57824	82734	1.86
2	फरवरी	44445	24991	54825	79816	1.80
3	मार्च	45405	25728	57600	83328	1.84
4	अप्रैल	45405	25596	58678	84274	1.86
5	मई	45405	25677	59486	85163	1.88
6	जून	45405	25705	60855	86560	1.91
7	जुलाई	45405	26113	60014	86127	1.90
8	अगस्त	45405	26450	59465	85915	1.89
9	सितम्बर	45405	26458	57631	84089	1.85
10	अक्टूबर	45309	26829	54731	81560	1.80
11	नवम्बर	45309	26629	56127	82756	1.83
12	दिसम्बर	45309	26533	56140	82673	1.82
योग		542652	311619	693376	1004995	
वार्षिक औसत संख्या		45221	25968	57782	83750	1.85

विदेशी बन्दियों का विवरण

प्रदेश की कारागारों में प्रदेश तथा देश के बन्दियों के अतिरिक्त विदेशी बन्दी निरूद्ध होते हैं। दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 62 कारागारों में से 25 कारागारों में कुल 215 विदेशी बन्दी निरूद्ध थे, जिनमें 70 सिद्वदोष तथा 145 विचाराधीन बन्दी सम्मिलित थे।

क्र0	नागरिकता श्रेणी	पुरूष	महिला	योग
भारतीय	(i) सिद्धदोष	25675	788	26463
	(ii) विचाराधीन	54181	1814	55995
विदेशी	(i) सिद्धदोष	59	11	70
	(ii) विचाराधीन	127	18	145
	योग	80042	2631	82673

विभिन्न कारागारों में निरूद्ध विदेशी सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी

क्र0	कारागार का नाम	विदेशी बन्दियों की सख्या			क्र0	कारागार का नाम	विदेशी बन्दियों की सख्या		
		सिद्धदोष	विचाराधीन	योग			सिद्धदोष	विचाराधीन	योग
1	के0का0 नैनी	00	02	02	15	जि0का0 बिजनौर	00	08	08
2	के0का0 वाराणसी	18	04	22	16	जि0का0 गाजियाबाद	11	45	56
3	के0का0 बरेली	01	07	08	17	जि0का0 सहारनपुर	05	07	12
4	के0का0 आगरा	05	02	07	18	जि0का0 मु0नगर	01	09	10
5	जि0का0 आगरा	01	03	04	19	जि0का0 वाराणसी	01	03	04
6	जि0का0फिरोजाबाद	00	01	01	20	जि0का0 जौनपुर	00	01	01
7	जि0का0 अलीगढ	00	02	02	21	उप का0 ज्ञानपुर	00	01	01
8	जि0का0 बरेली	00	04	04	22	जि0का0 गोरखपुर	00	01	01
9	जि0का0 रामपुर	00	01	01	23	जि0का0 बस्ती	01	00	01
10	जि0का0 लखनऊ	00	08	08	24	जि0का0 सिद्धार्थनगर	13	12	25
11	जि0का0 सीतापुर	00	01	01	25	जि0का0 फैजाबाद	00	01	01
12	जि0का0 खीरी	00	01	01	26	जि0का0 बहराइच	10	19	29
13	जि0का0 कानपुर	00	02	02	27	जि0का0 गोण्डा	02	00	02
14	जि0का0 मेरठ	01	00	01		योग	70	145	215

महिला बंदी तथा उनके साथ रह रहे बच्चों की संख्या

दिनांक 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की कारागारों में कुल 799 सिद्धदोष तथा 1832 विचाराधीन महिला बंदी निरूद्ध थी। सिद्धदोष 799 महिला बंदियों के साथ उनके 06 वर्ष से कम आयु के 60 लड़के तथा 58 लड़कियॉ भी कारागारों में रह रहे थे। साथ ही कारागारों में निरूद्ध 1832 विचाराधीन महिला बंदियों के साथ 164 लड़के तथा 142 लड़कियॉ निरूद्ध रही। महिला बंदियों तथा उनके साथ रह रहे बच्चों का कारागारवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	कारागारें	सिद्धदोष महिला बंदी तथा उनके साथ रह रहे बच्चों की संख्या			विचाराधीन महिला बंदी तथा उनके साथ रह रहे बच्चों की संख्या		
		महिला बंदी	लडके	लडकियॉ	महिला बंदी	लडके	लडकियॉ
1	केन्द्रीय कारागार नैनी	30	04	03	57	06	07
2	जिला कारागार, आगरा	08	00	00	80	05	02
3	जिला कारागार, फिरोजाबाद	16	01	01	36	01	01
4	जिला कारागार, मैनपुरी	04	00	00	08	01	01
5	जिला कारागार, मथुरा	11	00	01	20	01	02
6	जिला कारागार, अलीगढ	07	00	00	55	06	05
7	जिला कारागार, एटा	07	00	00	28	03	03
8	जिला कारागार, झांसी	07	01	00	18	01	00
9	जिला कारागार, ललितपुर	02	00	00	07	01	00

क्र0	कारागारें	सिद्वदोष महिला बंदी तथा उनके साथ रह रहे बच्चों की संख्या			विचाराधीन महिला बंदी तथा उनके साथ रह रहे बच्चों की संख्या		
		महिला बंदी	लडके	लडकियॉ	महिला बंदी	लडके	लडकियॉ
10	जिला कारागार, उरई	11	00	00	06	00	00
11	जिला कारागार, बरेली	26	00	07	43	01	01
12	जिला कारागार, बदायूँ	12	02	02	29	03	01
13	जिला कारागार, शाहजहांपुर	01	01	00	44	09	08
14	जिला कारागार, पीलीभीत	14	01	02	21	02	01
15	जिला कारागार, मुरादाबाद	07	01	00	45	04	02
16	जिला कारागार, रामपुर	17	01	03	15	02	02
17	जिला कारागार, बिजनौर	11	02	01	36	01	01
18	जिला कारागार, रायबरेली	06	00	00	21	02	01
19	जिला कारागार, उन्नाव	05	00	00	20	04	03
20	जिला कारागार, हरदोई	06	02	00	35	05	09
21	जिला कारागार, सीतापुर	03	01	00	48	04	04
22	जिला कारागार, खीरी	03	02	00	44	02	04
23	जिला कारागार, कानपुर	11	00	01	53	07	05
24	जिला कारागार, कानपुर देहात	13	00	01	25	00	02
25	जिला कारागार, इटावा	13	00	01	33	04	04
26	जिला कारागार, फतेहगढ़	12	02	01	38	05	02
27	जिला कारागार, बुलन्दशहर	20	02	03	21	02	01
28	जिला कारागार, मेरठ	07	00	00	54	04	03
29	जिला कारागार, गाजियाबाद	23	04	05	106	07	06
30	जिला कारागार, सहारनपुर	14	02	02	16	00	00
31	जिला कारागार, मुजफ्फरनगर	14	02	01	39	05	03
32	जिला कारागार, फतेहपुर	07	00	00	29	03	00
33	जिला कारागार, प्रतापगढ़	09	00	00	26	01	01
34	जिला कारागार, वाराणसी	02	00	00	77	03	08
35	जिला कारागार, गाजीपुर	06	00	01	18	00	01
36	जिला कारागार, जौनपुर	12	01	00	17	01	00
37	जिला कारागार, मिर्जापुर	08	00	00	31	00	00
38	जिला कारागार, बॉदा	07	00	00	28	04	01
39	जिला कारागार, हमीरपुर	00	00	00	04	01	01
40	जिला कारागार, गोरखपुर	18	01	01	84	06	06
41	जिला कारागार, देवरिया	17	00	00	64	12	06
42	जिला कारागार, बस्ती	24	04	04	19	01	02
43	जिला कारागार, सिद्धार्थ नगर	04	01	01	16	02	00

क्र0	कारागारें	सिद्वदोष महिला बंदी तथा उनके साथ रह रहे बच्चों की संख्या			विचाराधीन महिला बंदी तथा उनके साथ रह रहे बच्चों की संख्या		
		महिला बंदी	लडके	लडकियॉ	महिला बंदी	लडके	लडकियॉ
44	जिला कारागार, फैजाबाद	18	00	00	48	08	06
45	जिला कारागार, बाराबंकी	16	02	00	26	04	04
46	जिला कारागार, सुल्तानपुर	06	00	00	35	01	02
47	जिला कारागार, बहराइच	10	02	02	44	03	07
48	जिला कारागार, गोण्डा	17	02	05	24	04	01
49	जिला कारागार, आजमगढ़	02	01	00	21	01	01
50	जिला कारागार, मऊ	06	00	01	12	01	01
51	जिला कारागार, बलिया	02	00	00	19	02	03
52	उप कारागार देवबन्द	01	00	00	01	01	00
53	उप कारागार महोबा	03	00	00	04	01	00
54	उप कारागार ज्ञानपुर	03	00	01	02	00	00
55	नारी बन्दी निकेतन	260	15	07	82	06	07
	महायोग	799	60	58	1832	164	142

अवधिवार विचाराधीन बंदियों का निरूद्धि का विवरण

प्रदेश की कारागारों में विभिन्न अवधियों के विचाराधीन बंदी निरूद्ध है, जिसका वर्गीकरण 03 माह से कम तथा 05 वर्ष से अधिक की 07 श्रेणियों में करते हुए निरूद्धि के ऑकडे निम्नवत् अवलोकनीय है :–

क्र0	निरूद्धि अवधि	विचाराधीन बंदियों की संख्या		
		पुरूष	महिला	योग
1	03 माह से कम	17233	525	17758
2	3 से 6 माह अवधि के	11281	498	11779
3	6 से 12 माह अवधि के	10145	396	10541
4	1 से 2 वर्ष अवधि के	7668	236	7904
5	2 से 3 वर्ष अवधि के	4382	113	4495
6	3 से 5 वर्ष अवधि के	2943	57	3000
7	5 वर्ष से अधिक	388	7	395
8	योग	54040	1832	55872

पैरोल के अन्तर्गत रिहा बंदियों का विवरण

वर्ष 2010 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध कुल 97 पुरूष बंदियों को पैरोल पर मुक्त किया गया। पैरोल पर इन मुक्त 97 बंदियों में से 19 बंदी पैरोल की अवधि समाप्त होने पर कारागार में वापस नही आये तथा वापस न आये इन 19 बंदियों में से दिनांक 31.12.2010 तक कोई भी बंदी पुनः गिरफ्तार होकर कारागार में दाखिल नही हो सका।

बंदियों की उम्र के आधार पर सजा का विवरण

प्रदेश की कारागारों में सिद्धदोष बंदियों को मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास तथा विभिन्न अवधि के लिये सजा दी गयी है, जिसका अवधिवार विवरण निम्नवत् अवलोकनीय है :–

क्र0	सजा	18–30 वर्ष	30–50 वर्ष	50 वर्ष से अधिक	योग
1.	मृत्यु दण्ड	34	36	15	85
2	आजीवन कारावास	2708	6859	3942	13509
3	10–13 वर्ष	1145	2074	1007	4226
4	7–9 वर्ष	770	1660	803	3233
5	5–6 वर्ष	568	744	243	1555
6	2–4 वर्ष	373	373	197	943
7	1 – 2 वर्ष	345	336	140	821
8	06 माह से 01 वर्ष	284	314	129	727
9	03 माह से 06 माह	305	241	163	709
10	03 माह से कम	324	338	63	725
11	योग	6856	12975	6702	26533

.....

अध्याय–4
कारागारों में बन्दी पलायन तथा बंदी मृत्यु के प्रकरण

वर्ष 2010 में प्रदेश की कारागारों से कारागार अभिरक्षा से 21 बन्दियों द्वारा पलायन की घटना घटित की गयी, जिनमें से 09 बन्दियों को पुनः गिरफतार कर कारागार में दाखिल किया गया। वर्ष में पुलिस अभिरक्षा से 45 बंदी पलायित हुये। पलायित बंदियों में से 09 बंदी पुनः गिरफतार हो कर कारागार में दाखिल हुये। विगत 03 वर्षो में कारागार तथा पुलिस अभिरक्षा से पलायन के ऑकडे निम्नवत् है :–

क्र0	वर्ष	कारागार अभिरक्षा से पलायन		पुलिस अभिरक्षा से पलायन	
		पलायित बंदी	पुनः गिरफतार	पलायित बंदी	पुनः गिरफतार
1	2008	10	02	76	34
2	2009	12	03	61	14
3	2010	21	09	45	09

कारागार अभिरक्षा में मृत्यु

वर्ष 2010 में प्रदेश की कारागारों में कुल 329 बंदियों की मृत्यु हुयी। इसमें 317 बंदियों की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु थी तथा 06 बदी मृत्यु के प्रकरण हत्या के तथा 06 आत्महत्या से सम्बन्धित थे, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	कारागार का नाम	बन्दी का नाम	घटना का दिनांक
	हत्या के प्रकरण		
1	जि0का0 मुरादाबाद	सिद्वदोष बन्दी अनुज कुमार शर्मा पुत्र श्री कामेश्वर	28.01.2010
2	जि0का0 उरई	सिद्वदोष बन्दी नाजिर पुत्र श्री अयूब खॉ	28.03.2010
3	जि0का0 उरई	सिद्वदोष बन्दी प्रिन्स अहमद पुत्र श्री बदरूदीन	28.03.2010
4	जि0का0 गाजीपुर	विचाराधीन बन्दी वसीम अहमद पुत्र श्री एजाज अहमद	21.06.2010
5	जि0का0 गाजीपुर	विचाराधीन बन्दी रामवचन पुत्र श्री केदार नाथ यादव	21.06.2010
6	जि0का0 गाजीपुर	बन्दी गुडडू उर्फ रामकुमार गौड पुत्र श्री कन्हैया गौड।	25.06.2010
	आत्महत्या के प्रकरण		
7	जि0का0 झांसी	विचाराधीन बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री हरिदास	24.01.2010
8	जि0का0 गोण्डा	सिद्वदोष बन्दी सुखराम पुत्र ब्रजनन्दन	24.02.2010
9	के0का0 वाराणसी	सिद्वदोष बन्दी राजू दूबे पुत्र राजेश दूबे	19.04.2010
10	जि0का0 मेरठ	विचाराधीन बन्दी विनेश पुत्र श्री शिवनारायण	27.03.2010
11	जि0का0 इटावा	विचाराधीन बन्दी कोमल सिंह, पुत्र श्री जयसीराम	25.07.2010
12	जि0का0 लखनऊ	विचाराधीन बन्दी अरविन्दर पुत्र श्री जोगेन्दर सिंह (पुलिस अभिरक्षा में)	30.06.2010

प्रदेश की कारागारों में विगत 03 वर्षो में कारागारों में बंदी मृत्यु के प्रकरणों के ऑकडे निम्न तालिका में अवलोकनीय है :–

क्र0	वर्ष	औसत बंदी संख्या	मृत्यु	हत्या	आत्महत्या	योग	मृत्यु दर (प्रति हजार प्रति वर्ष)
1	2008	78277	295	01	08	304	3.88
2	2009	83350	316	0	11	327	3.92
3	2010	83750	317	6	6	329	3.93

.....0.....

अध्याय–5
कारागारों में निरूद्ध महत्वपूर्ण बंदियों का विवरण

कारागारों में निरूद्ध सांसद, विधायक तथा सरकारी अधिकारी/कर्मचारी

वर्ष 2010 में प्रदेश की कारागारों में निम्न तालिका के अनुसार सांसद, विधायक, पुलिस अधिकारी तथा कारागार अधिकारी निरूद्ध रहे :–

क्र0	निरूद्ध प्रभावशाली बंदी	सिद्धदोष	विचाराधीन	योग
1	सांसद	–	–	–
2	विधायक	01	08	09
3	पुलिस अधिकारी	97	135	232
4	कारागार अधिकारी	03	03	06
योग		101	146	247

नोट– पुलिस अधिकारी/कारागार अधिकारी में पुलिस व कारागार विभाग के समस्त कर्मी सम्मिलित हैं।

कारागारों में निरूद्ध सांसद/विधायक

क्र0	सांसद/विधायक का नाम	कारागार का नाम	सिद्धदोष/विचाराधीन	निरूद्धि की तिथि
1	मुख्तार अंसारी, मा0 विधायक	के0क0 आगरा	विचाराधीन	18.4.2010
2	जमुना प्रसाद निषाद, मा0 विधायक	जि0का0 देवरिया	विचाराधीन	11.06.2008
3	आनन्द सेन, मा0 विधायक	जि0का0 फैजाबाद	विचाराधीन	25.10.2009
4	शेखर तिवारी, मा0 विधायक	जि0का0 बाराबंकी	विचाराधीन	21.06.2009
5	अमरमणि त्रिपाठी, मा0 विधायक	के0का0 वाराणसी	सिद्धदोष	25.09.2008
6	अशोक यादव, मा0 विधायक	जि0का0 गाजियाबाद	विचाराधीन	08.03.2010
7	शिवपाल सिंह, मा0 विधायक	जि0का0 लखनऊ	विचाराधीन	24.10.2008
8	उस्मानुलहक, मा0 विधायक	जि0का0 मुरादाबाद	विचाराधीन	11.05.2009
9	अजय राय, मा0 विधायक	जि0का0 वाराणसी	विचाराधीन	27.8.2010

कारागारों में निरूद्ध आतंकवादी बंदियों का विवरण

क्र0	नागरिकता	निरूद्ध आतंकवादी बंदियों की संख्या	निरूद्धि की अवधि			
			0 से 01 वर्ष	01 से 03 वर्ष	03 से 05 वर्ष	05 वर्ष से अधिक
1	भारतीय	50	06	30	09	05
2	पाकिस्तानी	23	5	14	02	02
3	बंगलादेशी	0	0	0	0	0
4	अन्य	0	0	0	01	0
	योग	73	11	44	12	07

अ– 5 वर्ष से अधिक समय से निरूद्ध सिद्धदोष आंतकवादी बंदी

क्र0	नाम, पता, नगरिकता तथा उम्र	कारागार व निरूद्धि दिनांक	सजा एवं अपराध की धारा	सजा अवधि	
				अपरिहार	सपरिहार
1	बरियाम सिंह पुत्र आत्मा सिंह, थाना बन्डा, शाहजहांपुर। भारतीय। 65 वर्ष।	के0का0 बरेली 12.01.1994	आजी0 कारा0 120बी 3/4 टाडा एक्ट	20 वर्ष, 04 दिन	25 वर्ष, 02 माह, 21 दिन
2	मो0 वारिस उर्फ राजा पुत्र फिरोजुद्दीन, थाना सदन, गुजरावाला। पाकिस्तानी, उम्र–52 वर्ष।	के0का0 बरेली 27.2.2001	आजी0 कारा0 धारा 121,121ए, 322, 323, 13/14 विदे0 अधि0।	10 वर्ष, 02 माह, 11 दिन	11 वर्ष, 02 माह, 21 दिन
3	असातुल्ला कादरी पुत्र सैदुल्ला कादरी, मुजफ्फराबाद। पाकिस्तानी। 38 वर्ष।	के0का0 नैनी 07.01.2002	जम्मू व कश्मीर का बीएसए एक्ट– 1978	डिटेन्यूज बन्दी का डिटेंशन 24.1.2012 तक है।	

ब– 5 वर्ष से अधिक समय से निरूद्ध विचाराधीन आंतकवादी बंदी

क्र0	नाम व पता	उम्र	नागरिकता	निरूद्धि की कारागार व दिनांक	धारा जिसमें बंदी निरूद्ध है
1	जावेद उर्फ गुड्डू पुत्र मो0 शफीक, अस्तबल रोड, रामपुर।	32	भारतीय	जि0का0 रामपुर 14.8.2002	धारा–121,121ए/123आईपीसी (3) (1) ए अ0निरो0 अधि0
2	ताज मोहम्मद पुत्र छोटे खां, थाना गंज, रामपुर।	35	भारतीय	जि0का0 रामपुर 14.8.2002	धारा–121/121ए/123 आईपीसी (3)(1) ए अनिरो अधि0
3	मकसूद पुत्र इनायत हुसैन, थाना, कोतवाली, जिला रामपुर।	37	भारतीय	जि0का0 रामपुर 14.8.2002	धारा–121/121ए/123 आईपीसी(3)(1) ए अ0निरो0अधि0
4	बनवारी लाल धानुक पुत्र स्व0 श्री डोरी लाल, मीरपुर, रतनपुर, था0– दियूरिया, पीलीभीत।	28	भारतीय	जि0का0 पीलीभीत 15.6.2004	धारा–147, 148, 149, 364, 302, 201 आईपीसी।

अध्याय–6
बदी सुविधाएँ

भोजन व्यवस्था

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों को जेल मैनुअल में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार भोजन दिया जाता है। बन्दियों के भोजन की मात्रा के मानक प्रति दिन प्रति बंदी निर्धारित हैं तथा माह में एक रविवार को छोड़कर शेष रविवार एवं त्यौहारों पर विशेष भोजन दिये जाने की व्यवस्था है। बंदियों के भोजन में दाल, रोटी तथा सब्जी दी जाती है एवं सप्ताह में दो बार चावल दिये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश के कुछ भागों में भोजन में रोटी के साथ चावल अधिक पसन्द किये जाने के दृष्टिगत इच्छुक बंदियों को रोटी के स्थान पर रोटी/चावल की मिली–जुली डाइट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। भोजन को रूचिकर बनाने के लिए सप्ताह में प्रत्येक दिन भिन्न–भिन्न दालें यथा अरहर, उरद/चना, राजमा/उरद के साथ सब्जी में मूँग तथा सोयाबीन बड़ी दिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है। बंदियों को सामान्यतया दिन में एक बार तथा जाड़े में दो बार चाय दी जाती है। बीमार बंदियों, बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर अतिरिक्त आहार दिये जाने की व्यवस्था है। कारागारों में महिला बन्दियों के साथ रहने वाले बच्चों को अलग से भोजन, दूध तथा फल आदि दिये जाने की व्यवस्था है। बंदियों के भोजन के निर्धारित मानक परिशिष्ट–4 में अवलोकनीय है।

भोजन में मसालों की मात्रा में संशोधन

कारागारें में निरूद्व बन्दियों के लिये निर्धारित भोजन में विविधता लाने के लिये समय समय पर अनेक सुधार किये गये। विगत वर्षो में बन्दियों के लिये सोयाबीन की बड़ी तथा दालों के प्रयोग में विविधता लायी गयी। इसी श्रृंखला में बन्दियों के भोजन को रूचिकर एवं स्वादिष्ट तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने के दृष्टिगत निर्धारित मसालों की मात्रा में वृद्वि किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। इसकी स्वीकृति हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या –10616/उद्योग, दिनांक 02.04.2009 द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

अतिरिक्त पाकशाला की व्यवस्था

सामान्यतया कारागारों में सभी बंदियों के लिये एक ही पाकशाला में भोजन बनाने की व्यवस्था है। वर्तमान में कारागारों में बंदियों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्वि के कारण एक ही पाकशाला में सभी बंदियों के लिये भोजन बनाना काफी कठिन हो गया है, जिसके कारण अपेक्षित स्वच्छता सुनिश्चित नही हो पाती है तथा पाकशाला में भीड़–भाड़ की स्थिति हो जाती है। बंदियों की बढ़ती भीड़–भाड़ को देखते हुये विभागीय अधिकारियों से विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जहां 1000 से अधिक बंदी निरूद्ध हैं, वहां कारागारों में उपलब्ध भवन सामग्री तथा स्थल का प्रयोग कर नई पाकशाला तत्काल प्रारम्भ कर दी जाये। वर्ष 2009 में इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये जिला कारागार गाजियाबाद, बरेली, बदायूँ तथा केन्द्रीय कारागार आगरा में नयी पाकशालाएं संचालित की गयी है। अन्य कारागारों में भी अतिरिक्त पाकशालाओं का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2009 में प्रदेश की 05 कारागारों में पाकशालाओं में एल0पी0जी0 इकाईयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिनमें केन्द्रीय कारागार वाराणसी के लिये 02, आगरा, 01 तथ के सुदृढ़ीकरण हेतु

केन्द्रीय कारागार वाराणसी में 02 पाकशालाओं हेतु, जिला कारागार सिद्वार्थनगर, की पाकशाला में एल0पी0जी0 इकाईयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

चिकित्सा व्यवस्था

प्रत्येक कारागार में 20 बिस्तर क्षमता अथवा इससे अधिक क्षमता का अस्पताल निर्मित है तथा इन चिकित्सालयों में आवश्यक साज–सज्जा सामग्री एंव चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। इस मद में धनराशि के कम प्रावधान के कारण बन्दियों के चिकित्सा उपचार में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप इस मद में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान आवश्यक है।

बन्दियों के चिकित्सा उपचार हेतु सभी कारागारों में 01 एम्बूलेंस का नियतन रखा गया है। वर्तमान में अनेक कारागारों में पूर्व से उपलब्ध करायी गयी एम्बूलेंस निष्प्रयोज्य होने के कारण उनके पुनर्स्थापन की आवश्यकता है तथा कतिपय एम्बूलेंस विहीन कारागारों में नयी एम्बूलेंस की व्यवस्था आवश्यक है। वर्ष 2010 में 04 कारागारों में पुनर्स्थापन के आधार पर एम्बूलेंस की व्यवस्था करायी गयी हैं। आय–व्ययक में उपलब्ध धनराशि से कारागारों में चिकित्सालयों में साज–सज्जा की व्यवस्था करायी गयी तथा कारागारों में आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराये गये। विभिन्न कारागारों के अधीक्षकों की मॉग के आधार पर 17 कारागारों में पोर्टबुल एक्सरे मशीन की व्यवस्था करायी गयी है ताकि छोटे–छोटे एक्सरे की आवश्यकताएं कारागार में ही हो सकें। बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए कार्यवाही करायी गयी।

प्रवेश के समय बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण

कारागारों में प्रत्येक बंदी के प्रवेश के समय उसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें बंदियों की समस्त बीमारियों चोट तथा उसकी शारीरिक संरचना आदि के विन्दुओं को रिपोर्ट में अंकित किया जाता है। यह रिपोर्ट अर्द्ववार्षिक आधार पर (01 जनवरी से 30 जून तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर) के आधार पर तैयार की जाती है।

चिकित्सा व्यवस्था–कठिनाई/आवश्यकता

1– जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेजों द्वारा बन्दियों का उपचार अपने अस्पतालों में न करने के बजाय आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली तथा अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानो मे रेफर करने से अत्याधिक कठिनाई होती है तथा अधिक धनराशि व्यय होती है। अतः आवश्यक है कि चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से समस्त जिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों को बंदियों को रेफर करने के बजाय अपने यहां उनका समुचित चिकित्सा उपचार कराने के प्रभावी निर्देश दिये जाने अपेक्षित हैं।

2– शासन को संदर्भित बंदियों के लिये औषधि की व्यवस्था के क्रय हेतु शासन से धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके लिये स्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 50,000/– तक अधीक्षक कारागार को तथा रू0 2,00,000/–तक महानिरीक्षक कारागार को स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत करना अत्यन्त आवश्यक है।

3– कारागारों में वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता (चिकित्सक) के पदों पर तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जाती है तथा अधिकांश कारागारों में चिकित्सक के पद रिक्त होने के

कारण बंदियों के चिकित्सा उपचार में कठिनाई आती है। अतः आवश्यक है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त कारागारों में चिकित्सकों की निरन्तर तैनाती की जाये।

मुलाकात व्यवस्था

बन्दियों की मुलाकात व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा मुलाकात के सम्बन्ध में मुलाकातियों को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के प्रभावी प्रयास किये गये। बन्दियों तथा बन्दियों के परिजनों से कारागार व्यवस्था के सम्बन्ध में आपत्तियां/शिकायतें दर्ज किये जाने हेतु कारागार के प्रत्येक अहाते में तथा मुख्यद्वार के पास शिकायत पेटिकाएं लगायी गयी तथा इन शिकायतों के निस्तारण करने की व्यवस्था की गयी है। मुख्य द्वार के पास जेल मैनुअल के प्रावधानों तथा मुलाकात के नियमों की जानकारी हेतु सूचना पट भी लगाये गये हैं। मुलाकात व्यवस्था को सुदढ़ एंव पारदर्शी बनाये जाने हेतु निम्न व्यवस्थाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

- जेल सहायता केन्द्र पर नियमित रूप से उप कारापाल स्तर के अधिकारी की तैनाती की व्यवस्था की गयी ताकि वह मुलाकात के संबंध में मुलाकातियों को समुचित जानकारी हो सके।
- बंदियों के लिये अनुमन्य तथा निषिद्ध वस्तुओं की सूची कारागार के मुख्य द्वार के पास लगाने की व्यवस्था की गयी ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके।
- कारागारों में मुलाकात की व्यवस्था में सुधार करते हुये कार्यालय परिपत्र संख्या–28/सामा 1(3)/08, दिनांक 20.05.2009 द्वारा प्रथम बार बन्दियों से मुलाकात की बुकिंग टेलीफोन के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

कैण्टीन व्यवस्था

बंदियों की सुविधा हेतु प्रत्येक कारागार में बंदियों को सम्मिलित करते हुये गठित की गयी समिति द्वारा कैन्टीन का संचालन किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक बंदी माह में 600 रूपये के कूपन से अपनी आवश्यकता की वस्तुयें क्रय कर सकता है। बंदियों के प्रयोग हेतु कैण्टीन रखी जाने वाली सामग्री निर्धारित की गयी है तथा इस सामग्रियों की मूल्य सहित सूची कैण्टीन के अन्दर तथा कैण्टीन के बाहर लगाने की व्यवस्था की गयी है। कैण्टीन व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षकों स्तर पर तत्परता से निस्तारण की व्यवस्था की गयी है।

बंदी कल्याणकारी कोष

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों हेतु बंदी कल्याणकारी कोष के सम्बन्ध में परिपत्र सं0–34/सामा–1 (5)/कैण्टीन, दिनांक 22.06.2009 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये। समय समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में प्रत्येक कारागार में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बन्दी कल्याण कोष के नियमित रूप से समुचित रख–रखाव के निर्देश भी दिये गये है। मुख्यालय के पत्र संख्या– 22528/सामा–1(5)/बंदी कल्याण कोष दिनांक–27.08.08 द्वारा "उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों हेतु बंदी कल्याणकारी कोष नियमावली–2008" का आलेख्य शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

==========

अध्याय–7

बन्दी कल्याण एवं पुनर्वास तथा शैक्षिक कार्यक्रम

बन्दियों का कौशल विकास

कारागारों में स्थापित उद्योगों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कारागारों में निरूद्ध बंदियों को इन उद्योगों में कार्य के अवसर उपलब्ध कराकर निर्धारित पारिश्रमिक देने के साथ–साथ उनमें कुशलता अर्जित कराना है, ताकि वे कारागार से रिहाई के उपरांत स्वावलम्बी बनकर अपना जीवन यापन कर सकें। इस उद्देश्य से बन्दियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें कौशल विकास के अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश की सभी 05 केन्द्रीय कारागारों आदर्श कारागार, लखनऊ तथा जिला कारागार, सीतापुर एवं उन्नाव में विभिन्न उद्योग स्थापित किये गये हैं। इन उद्योगों में अधिक से अधिक बन्दियों को कार्य करने के अवसर प्रदान किये जाते है।

बंदी पारिश्रमिक

कारागारों में स्थापित उद्योगों में बन्दियों को 03 श्रेणियों–अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल में विभाजित करते हुये शासन द्वारा निर्धारित दरों क्रमशः रू0 10/–13/– तथा 18/– के अनुसार पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। अन्य प्रदेशों में इससे अधिक पारिश्रमिक दिया जाना प्रचलन में है। पारिश्रमिक की दरें कम होने के दृष्टिगत इन दरों को पुनरीक्षित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें कुशल बंदी हेतु रूपये 40/–, अर्द्धकुशल बंदी हेतु रूपये 30/– तथा अकुशल बंदी हेतु रूपये 25/– की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। बन्दियों के कौशल विकास तथा उत्पादन में गुणवत्ता हेतु सभी उद्योगों के लिये तकनीकी पद (तकनीकी प्रशिक्षक) सृजित हैं, जो इन बंदियों को समुचित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर इनके कौशल विकास में सहयोग देते हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

कारागार उद्योगों के अतिरिक्त समय–समय पर बंदियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत रोजगार परक लघु उद्यमों यथा आटो मोबाइल, कारपेन्ट्री, इलेक्ट्रिीशियन, वायरमैन, अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, माली, स्कूटर साईकिल मरम्मत, कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री, कढ़ाई बुनाई तथा सिलाई आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी बंदियों को प्रशिक्षण प्राप्त कर कौशल विकास के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

अभिव्यक्ति विकास

कारागारों में निरूद्व बन्दियों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त अपनी भावना तथा अर्न्तनिहित प्रतिभा को विकसित करने के अवसर भी प्रदान किये जाते है। प्रत्येक कारागार में अभिव्यक्ति पटल लगाने के निर्देश दिये गये है जिसमें बदी अपने विचारों को लिख सकता है। इस अभिव्यक्ति पटल के माध्यम से अच्छी बातों को भी बंदियों तक पहुॅचाने में सहयोग प्राप्त होता है। बंदियें की

अभिव्यक्ति के विकास के लिये कारागार मुख्यालय में जेल बुलेटिन नाम से समाचार पत्रिका तैयार करायी जाती है। जिसमें कारागारों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ–साथ बंदियों की रचनाओं को भी स्थान दिया जा रहा है।

अर्न्तनिहित प्रतिभाओं के प्रस्तुतीकरण के अवसर

कारागारों में निरूद्व बन्दियों में गायन, वादन व अन्य प्रतिभाएं होती है। इस प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर तथा प्रदेश स्तर पर जनसामान्य के मध्य लाने हेतु सभी कारागारों से ऐसे बन्दियों को चिन्हित कर सूचनाएं प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। यह प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे प्रतिभाशाली बन्दियों को प्रदेश स्तर पर बुलाकर सम्मानित किया जायेगा तथा संस्कृति विभाग के माध्यम से इनकी प्रतिभाओं को जनसामान्य तक पहुचा कर इनका उत्साहवर्धन किया जायेगा। इसी क्रम में प्रदेश की कारागारेां में निरूद्व महिला बन्दियों के साथ रह रहे 06 वर्ष से कम आयु के लगभग 250 बच्चों के मध्य कारागारों में पेन्टिंग प्रतियोगिता आयोजित कर सफल कृतियों को मुख्यालय भेजने के निर्देश प्रसारित किये गये है। इन बच्चों में जहां सम्मानित होने पर उत्साहवर्धन होगा वही इन बच्चों की माताओं को भी इन बच्चों के सर्वागीण विकास से प्रसन्नता की अनुभूति होगी।

प्रिजन रूटीन

कारागारों में निरूद्व प्रत्येक बन्दी अपना पारिवारिक तथा सामाजिक परिवेश छोड़कर कारागार की चाहरदीवारी में एकान्तवासी हो जाता है। अपना परिवेश छोड़ने का उसे अत्यन्त हार्दिक तथा मार्मिक कष्ट होता है। अनेक अभ्यस्त बन्दियों के साथ यद्यपि कारागार में आने की स्थिति असहज नही होती है, परन्तु अधिकांश बन्दी नितान्त असहज स्थिति में होते है। बन्दियों के इस एकान्त को समाप्त करने तथा उन्हें कारागार में ही किसी न किसी गतिविधि में निरन्तर लगाये रखना अत्यन्त आवश्यक होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कारागार दिनचर्या (प्रिजन रूटीन) को नये कलेवर में लाने का प्रयास किया गया है। इसके अन्तर्गत सभी कारागारों में यह व्यवस्था बनायी गयी है कि वे निरूद्व बन्दियों को कारागार में रचनात्मक कार्यो के साथ साथ शारीरिक व्यायाम, योग तथा प्रणायाम आदि में लगाये। इसके साथ ही बन्दियों को आध्यात्मिक गतिविधियों में भी अपने अपने धर्मो के अनुसार आध्यात्मिक चिन्तन आदि में संलग्न करें। इस प्रयास के अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

प्रदेश में प्रथम बार वर्ष 2009 में बन्दियों तथा जेल कर्मियों के लिये वार्षिक खेलकूद कलेण्डर बनाया गया। निर्धारित खेलकूद कलेण्डर के अनुसार कारागारों के स्तर पर पुरूष तथा महिला बन्दियों के मध्य विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कारगार स्तर पर सफल प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभाओं को उच्च स्तर पर प्रदर्शित करने हेतु निर्धारित 09 स्पोटर्स जोन स्तर पर जोनल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में बन्दियों द्वारा हर्षोल्लास तथा उत्साह के साथ भाग लिया गया। इससे कारागारेां में निरूद्व उन सभी बन्दियों में भी खेलकूद के प्रति उत्साह जागृत होगा तथा कारागारेां में खेलकूद की संस्कृति विकसित होने पर सभी बन्दी स्वस्थ रह सकेगें।

सामुदायिक सहभागिता

कारागारों में बन्दियों के सुधार, पुनर्वास तथा उनके रहन सहन में सुधार हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार अनुदानित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से कार्य करने के प्रयास किये गये है। शासकीय स्तर पर इन कार्यो के साथ ही समाज में इच्छुक उन संस्थाओं व्यक्तियों धर्म गुरूओं आदि का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। वर्ष 2009 में इस क्षेत्र को बन्दियों के कल्याण की दिशा में कार्य हेतु प्रोत्साहित किया गया। सभी कारागारों में स्थानीय स्तर पर बन्दियों के कल्याण के क्षेत्र में रूचि रखने वाले स्वयमसेवी संगठनों तथा व्यक्तियों का पंजीकरण कराने के निर्देश निर्गत किये गये। अनेक कारागारों में संस्थाओं द्वारा बन्दियों के मध्य कार्य करने के लिये अपनी संस्थाओं का पंजीकरण कराया गया है। कारागार नियमों तथा सुरक्षा आवश्यकताओं पर पूर्ण ध्यान देते हुये बन्दियों के कल्याण हेतु स्वयमसेवी स्तर पर कारागारों से अधिकतम योगदान प्राप्त करने तथा कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिये गये है। निकट भविष्य में इन प्रयासों के सार्थक परिणाम आने सम्भावित है।

बंदियों की साक्षरता

कारागारों में निरूद्ध बंदियों में अधिकांश बन्दी निरक्षर अथवा कम पढ़े–लिखे होते हैं। इनकी साक्षरता हेतु कारागारों में नियमित रूप से "एक पढ़ाये एक" तथा "नया सबेरा" योजना के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रम चलाये गये। वर्ष 2009 में प्रदेश की कारागारों में निरूद्व 3722 सिद्धोष तथा 14969 विचाराधीन कुल 18691 बंदियों को शिक्षित किया गया। इन साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन कारागारों में तैनात प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों द्वारा कराया जाता है। इस कार्य में उपयुक्त बन्दियों को भी लगाया जाता है।

शैक्षिक कार्यक्रम

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध पुरूष तथा महिला बंदियों के लिये साक्षरता तथा शैक्षिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2010 में 18691 निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के साथ ही कक्षा–5 से कक्षा–8 की परीक्षा में सम्मिलित 911 बंदियों में से 908, हाईस्कूल के 107 में से 73 तथा इण्टरमीडिएट के 82 में से 69 बंदी उत्तीर्ण हुये। इसके साथ ही इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में 143 बंदी सम्मिलित हुये। इस वर्ष भी उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु बंदी पंजीकृत हुये हैं। शैक्षिक सत्र 2010–11 हेतु कक्षा–5 से स्नातक स्तर तक विभिन्न कारागारों के कुल 2173 बंदियों को पंजीकृत किया गया है।

———0———

अध्याय–8
कारागार उद्योग

कारागारों में स्थापित उद्योगों से उत्पादित होने वाली सामग्री का प्रदेश की विभिन्न कारागारों में उपयोग किया जाता है। अन्य सरकारी विभागों की मांग के अनुसार सामग्री आपूर्ति भी की जाती है। कारगार उत्पादों को जन सामान्य में उपयोग हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में स्थापित जेल डिपों के माध्यम से विक्रय भी किया जाता है। जेल डिपों में सामान्यतया बंदियों द्वारा उत्पादित सामग्री यथा दरी, चादर, गमछे, डस्टर तथा फिनायल आदि वस्तुओं की बिक्री आम जनता को भी की जाती है। वर्तमान में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में स्थापित उद्योगों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	कारागार का नाम	संचालित उद्योगों का नाम
1	केन्द्रीय कारागार आगरा	साबुन, फिनायल, जूता, चप्पल, दरी बुनाई एवं सिलाई उद्योग
2	केन्द्रीय कारागार नैनी	कम्बल, दरीं, कपडा, साबुन, फिनायल, फर्नीचर, लौह व सिलाई उद्योग
3	केन्द्रीय कारागार बरेली	कम्बल, दरी, लौह, फर्नीचर, पेन्ट व सिलाई उद्योग (बंदी वस्त्र/वबन्दीरक्षक वर्दी)
4	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	स्टील बर्तन, दरी, कपड़ा बुनाई एवं सिलाई उद्योग (बंदी वस्त्र/बन्दीरक्षक वर्दी)
5	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ	तम्बू, रंगाई छपाई, निवाड़, लौह, काष्ठ, दरी, पावरलूम एवं सिलाई उद्योग
6	आदर्श कारागार लखनऊ	पावरलूम, हस्तनिर्मित कागज, प्रिटिंग प्रेस एवं सिलाई उद्योग
7	नारी बंदी निकेतन	कढ़ाई, बुनाई, सिलाई तथा मसाला उद्योग
8	जिला कारागार उन्नाव	दरी एवं सिलाई उद्योग (बंदी वस्त्र/बन्दीरक्षक वर्दी)
9	जिला कारागार सीतापुर	दरी उद्योग
10	जिला कारागार, गोरखपुर	सिलाई उद्योग (बंदी वस्त्र/बन्दीरक्षक वर्दी)

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में 03 वर्षो के औद्योगिक उत्पादन का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	कारागार का नाम	2007–2008 (रू0 लाख में)	2008–2009 (रू0 लाख में)	2009–2010 (रू0 लाख में)
1.	केन्द्रीय कारागार आगरा	27.89	27.67	56.15
2.	केन्द्रीय कारागार नैनी	55.23	51.21	41.85
3.	केन्द्रीय कारागार बरेली	20.49	47.99	20.00
4.	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	19.81	18.63	22.42
5.	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	72.86	28.62	21.11
6.	आदर्श कारागार लखनऊ	30.95	24.40	8.94
7.	जिला कारागार उन्नाव	5.64	5.15	5.61
महायोग		232.87	203.67	176.08

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को कारागारों में स्थापित उद्योगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश की सभी 05 केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार लखनऊ, नारी बन्दी निकेतन एंव जिला कारागार, उन्नाव तथा सीतापुर में विभिन्न उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों की स्थापना का प्रमुख

उददेश्य यह रहा है कि कारागारों में निरूद्व बन्दियों को कार्य के अवसर प्रदान किये जांय तथा इन्हें शासन द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक अर्जित करने का अवसर प्राप्त हों। उद्योगों में कार्य करने के अवसर से बन्दियों में उद्यम विशेष का कौशल आने से जहां इनके द्वारा पारिश्रमिक अर्जित किया जाता है वही यह अर्जित कौशल सजा से रिहाई के उपरान्त इनके पुनर्वास में भी अत्यधिक उपयोगी सिद्व होता है। प्रदेश की कारागारों में ऐसे उद्योग स्थापित किये गये हैं जो आम व्यक्ति के दैनिक उपयोग से वस्तुओं से सम्बन्धित हैं यथा साबुन, फिनायल, जूता, चप्पल, दरी बुनाई, सिलाई, लौह एवं काष्ठ फर्नीचर, कढ़ाई सिलाई, बुनाई आदि प्रमुख हैं। बन्दियों के रिहा होने के उपरान्त इन उद्यमों में प्राप्त कौशल से प्रदेश में कही भी रोजगार मिलने की सम्भावनाएं बनी रहती है।

स्थापित उद्योगों के अतिरिक्त समय समय पर बन्दियों को विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत अनुदान की धनराशि से छोटे छोटे रोजगारपरक उद्यमों यथा आटोमोबाइल, अगरबत्ती, मोमबत्ती, होजरी, साईकिल मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, माली, लोहारगिरी, कम्प्यूटर डेटा इन्ट्री/मरम्मत, आटा चक्की मरम्मत आदि में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समय समय पर विभिन्न प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्ताव पर भी सम्यक् रूप से प्रस्ताव पर विचार करते हुये बन्दियों को विभिन्न उद्यमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कराकर कौशल विकास के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

कारागार उद्योग– विशिष्ट समस्या

कारागारों के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री क्रय हेतु महानिरीक्षक कारागार को मात्र रू0 10.00 लाख के क्रयानुमोदन का अधिकार है। इससे अधिक के प्रस्तावों पर शासन का क्रयानुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है। शासन स्तर से विगत वर्षो में अनुमोदन प्राप्त होने में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण कारागार उद्योगों हेतु सामग्री प्रबन्ध न हो पाने से उद्योग लगभग बन्द हो गये हैं। बन्दी वस्त्रों तक की सम्पूर्ति नही हो पा रही है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी नही ली जा रही है। कारागारों की नैत्यिक प्रयोग की सामग्री क्रय में भी विषम कठिनाईयां आती हैं। इन समस्याओं एवं कठिनाईयों के निदानार्थ विभागाध्यक्ष की क्रयानुमोदन सीमा बढायी जानी आवश्यक है।

.....0.....

अध्याय–9
कारागार कृषि

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में लगभग 682.10 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिसमें खरीफ रबी तथा जायद फसलों में मुख्य रूप से बंदियों हेतु विभिन्न प्रकार की ठोस एवं हरी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। आवश्यकतानुसार सब्जी की बुआई करने के पश्चात जो भूमि अवशेष रहती है, वर्तमान में प्रदेश की कारागारों में लगभग 82756 बंदी निरूद्ध हैं। जिनके लिए सब्जी की आपूर्ति कारागारों द्वारा उत्पादित सब्जी से की जाती है। जिन कारागारों में बड़े कृषि फार्म है, अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने पर उनके द्वारा पास जनपदों की कारागारों को सब्जी की आपूर्ति की जाती है। इसके पश्चात भी यदि सब्जी अवशेष रहती है तथा उसका खराब होना संभावित होता है तो उसका निस्तारण उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल के प्रस्तर 931 सी के अनुसार किया जाता है। कृषि कार्यो हेतु प्रदेश की कारागारों में 17 ट्रैक्टर 108 नलकूप तथा 20 पम्पिंग सेट क्रियाशील हैं। वर्ष 2010 के दौरान प्रदेश की कारागारों में लगभग 25472.49 कु0 आलू तथा लगभग 42738.02 कुन्तल अन्य सब्जियों का उत्पादन किया गया। कारागारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2010 के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों का विवरण निम्नवत है :–

फसल का नाम	बोया गया क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राप्त उत्पादन (कुन्तल में)	उत्पादन मूल्य (रू0 लाख में)
धान	56.53	725.07	8.70
गेहूँ	44.00	409.10	4.91
आलू	307.36	25472.49	458.50
अन्य सब्जी	497.72	42738.02	512.86
चारा	13.70	1727.44	8.64
योग	919.31	71072.12	993.61

प्रदेश की कारागारों में विगत 03 वर्षो के दौरान विभिन्न फसलों का बोया गया क्षेत्रफल व उत्पादन का विवरण निम्नवत है।

क्र0	कृषि उत्पादन	2007–08		2008–09		2009–10	
		बोया क्षेत्रफल (एकड़)	उत्पादन (कुन्तल)	बोया क्षेत्रफल (एकड़)	उत्पादन (कुन्तल)	बोया क्षेत्रफल (एकड़)	उत्पादन (कुन्तल)
1	धान	127.68	1559.75	86.63	1208.38	56.53	725.07
2	गेहूँ	86.58	714.96	82.72	927.88	44.00	409.10
3	आलू	300.97	23309.45	294.40	19326.42	307.36	25472.49
4	सब्जी	500.00	50000.00	460.94	44583.71	497.72	42738.02
5	चारा	150.00	9700.00	13.70	1727.44	13.70	1727.44
6	लाही/सरसों	50.00	50.00	12.81	18.25	–	–
	योग	1215.22	85334.18	951.20	67792.08	919.31	71072.12

विगत 03 वर्षो का कारागार कृषि का आय–व्ययक

क्र0	वर्ष	आय (रूपये लाख में)	व्यय (रूपये लाख में)
1	2007–08	382.61	164.82
2	2008–09	365.38	739.79
3	2009–10	425.00	110.00

कारागारों में सब्जी वितरण की व्यवस्था

प्रदेश की अधिकांश कारागारों में निरूद्व बन्दियों के उपयोग हेतु सब्जी की व्यवस्था हेतु कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। कुछ कारागारों में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध न होने कारण अन्य कारागारों से सब्जी की आपूर्ति करने की व्यावस्था की गयी है। उन कारागारों की समीपवर्ती कारागारें जहां कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, के लिये भूमि निर्धारित कर सब्जी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के अनुसार कारागारों द्वारा सब्जी उत्पादन कर आपूर्ति की जाती है।

खुले शिविर की स्थापना

प्रदेश में पूर्व में सम्पूर्णानन्द शिविर घुर्मा तथा सितारगंज स्थापित थे। वर्तमान में सितारगंज के उत्तराखण्ड राज्य के अधिकार में आने तथा घुर्मा के बन्द हो जाने के कारण कोई शिविर नही रह गया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में बंदियों के कल्याण सुधार एवं पुनर्वासन हेतु खुले शिविरों की स्थापना नितान्त आवश्यक हो गयी है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु जनपद सीतापुर में नीलगांव के कैलाश व हिन्डोला ब्लाक की 591.60 हेक्टेयर भूमि अर्जित कर एक खुला बंदी शिविर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। शिविर की स्थापना हेतु कार्यालय पत्र संख्या–20363/ कृषि(1)/ 51–11/2000, दिनांक 14.07.2009 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है। इस विषय पर अनुस्मारक प्रेषित किये जाने के अनुक्रम में प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

.....0.....

अध्याय–10

बंदियों की समयपूर्व रिहाई तथा धारा 436 ए व 436 (1) के अन्तर्गत रिहाई

बंदियों की समय पूर्व रिहाई

बंदियों की समय पूर्व रिहाई के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2010 में प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा–2 के अन्तर्गत 11, जेल मैनुअल के प्रस्तर–198 के अन्तर्गत 4, संविधान की धारा– 161 (दयायाचिका) के 9 तथा जेल मैनुअल के प्रस्तर 195, 196, 197 (इनफरमिटी रोल) के अन्तर्गत 1 कुल 25 बंदी रिहा हुये। विगत 03 वर्षो में बंदियों की रिहाई का विवरण निम्नवत है।

वर्ष	प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा–2	जेल मैनुअल के प्रस्तर–198	संविधान की धारा–161 (दया याचिका)	जेल मैनुअल प्रस्तर–195, 196, 197 (इनफरमिटी रोल)	योग
2008	06	01	02	0	09
2009	16	11	40	68	135
2010	11	04	09	01	25

सी0आर0पी0सी0 की धारा–436 ए तथा 436(1) से आच्छादित बंदियों की रिहाई

सीआरपीसी, 1973 की धारा–436(1) से अच्छादित कारागारों में जमानती धाराओं में निरूद्ध ऐसे पात्र विचाराधीन बंदी, जिनके पास केस में पैरवी हेतु वकील नहीं थे, के जमानत सम्बन्धी प्रार्थना न्यायालयों में प्रेषित कर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी। इसी प्रकार सीआरपीसी–1973 की धारा–436 ए से अच्छादित कारागारों में निरूद्ध पात्र विचाराधीन बंदियों, जो निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि व्यतीत कर चुके थे, के जमानती प्रार्थना–पत्र न्यायालयों में प्रेषित कर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी। इन प्रावधानों में वर्ष 2010 में अग्राकित तालिका में अंकित संख्या के अनुसार बंदी रिहा हुये।

क्र0	माह	धारा–436 ए में पात्र रिहा बंदियों की संख्या					जमानती धारा 436(1) में रिहा बंदियों की संख्या				
		पुरूष	महिला	योग	रिहा	अवशेष	पुरूष	महिला	योग	रिहा	अवशेष
1	जनवरी	272	0	272	89	183	3036	15	3051	2025	1026
2	फरवरी	332	0	332	131	201	3170	14	3184	2193	991
3	मार्च	261	0	261	29	232	3532	17	3549	2288	1261
4	अप्रैल	103	0	103	29	74	3663	15	3678	2372	1306
5	मई	110	0	110	37	73	3447	17	3464	2397	1067
6	जून	188	02	190	41	149	3480	34	3514	2314	1200
7	जुलाई	220	0	220	65	135	3053	15	3068	2406	662
8	अगस्त	187	0	187	51	136	3015	26	3041	2259	782
9	सितम्बर	167	0	167	32	135	3323	31	3354	2474	880
10	अक्टूबर	176	0	176	32	144	2663	31	2694	2112	582
11	नवम्बर	179	0	179	35	144	2686	20	2706	2213	493
12	दिसम्बर	122	01	123	03	120	2333	08	2341	1628	713
	योग	2317	3	2320	574	1726	37401	43	7644	26681	0963

.....0.....

अध्याय–11
विभागीय बजट व्यवस्था

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के राजस्व लेखा पक्ष के लेखाशीर्षक–2056–आयोजनेत्तर के मतदेय में अनुपूरक सहित कुल रू0 3,21,90,94,000 (रूपया तीन अरब इक्कीस करोड़ नब्बे लाख चौरान्बे हजार मात्र) एवं भारित में रू0 10,00,000 (रूपया दस लाख मात्र) तथा पूँजीलेखा पक्ष के लेखाशीर्षक 4059–आयोजनेत्तर में कुल रू0 1,68,89,60,000 (रूपया एक अरब अड़सठा करोड़ नवासी लाख साठ हजार मात्र) पूँजी लेखा पक्ष के 4070 के आयोजनेत्तर में रू0 4,69,27,70,000(रूपया चार अरब उनहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख सत्तर हजार मात्र) तथा पूँजी लेखा पक्ष के लेखाशीर्षक–4216–आयोजनेत्तर में रू0 10,00,00,000 (रूपया दस करोड़ मात्र) इस प्रकार पँजी लेखा पक्ष के अन्तर्गत कुल रू0 6,48,17,30,000 (रूपया छः अरब अड़तालीस करोड़ सत्रह लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि प्रावधानित है, इस प्रकार अनुदान संख्या–25 के दोनों पक्ष राजस्व एवं पूँजी लेखा हेतु मतदेय में कुल रू0 9,70,08,24,000 (रूपया नौ अरब सत्तर करोड़ आठ लाख चौबीस हजार मात्र) का प्रावधान किया गया है तथा भारित में रू0 10,00,000 (रूपया दस लाख मात्र) का प्रावधान है।

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 के राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2056–आयोजनेत्तर में कुल रू0 3,55,04,42,000(रूपया तीन अरब पचपन करोड़ चार लाख बयालीस हजार मात्र) एवं भारित में रू0 10,00,000 (रूपया दस लाख मात्र) तथा पूँजीलेखा पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –4059–आयोजनेत्तर में कुल रू0 77,25,40,000 (रूपया सतहत्तर करोड़ पच्चीस लाख चालीस हजार मात्र) लेखाशीर्षक 4070–आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 50,50,10,000 (रूपया पचास करोड़ पचास लाख़ दस हजार मात्र) लेखाशीर्षक 4216–पूँजीलेखा– आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत रू0 35,00,00,000 (पैतीस करोड़ मात्र) का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रकार पूँजीलेखा–आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत कुल 7,62,75,50,000(रूपया सात अरब बॉसठ करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रकार अनुदान संख्या–25 के दोनो पक्ष (राजस्व एवं पूँजी लेखा) हेतु मतदेय में कुल रू0 11,17,79,92,000 (ग्यारह अरब सत्रह करोड़ उन्यास लाख बानवे हजार मात्र) का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक प्राविधान में सम्मिलित किये जाने हेतु पूँजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक–4070 आयोजनेत्तर–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–14 कारागारों के लिए उपकरणों संयत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था के अन्तर्गत मानक मद 26 मशीने और सज्जा /उपकरण एवं संयत्र में कुल रू0 575.70 लाख की धनराशि कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु डीपसर्च मेटल डिटेक्टर की स्थापना 10 कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाईयों की स्थापना, कारागार भोजनालयों के लिए आटा गूँथने की मशीनों के क्रय, गेहूँ छान्ने की मशीनों के क्रय, आलू छीलने की मशीनों तथा सब्जी काटने की मशीनों के क्रय हेतु प्रस्तावित की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में ''व्यय की नई मांग'' के माध्यम से कारागार भोजनालयों के आधुनिकीकरण हेतु 05 कारागारों में प्रथम चरण में चपाती बनाने की मशीनों के क्रय/ स्थापना, कारागार सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 05 कारागारों में सीसीसीटीवी इकाईयों की स्थापना, 10 कारागारों में मल्टीजोन मेटल डिटेक्टर की स्थापना एवं 05 कारागारों में एक्स–रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टम

मशीनों की स्थापना हेतु कुल रू0 580.00 लाख की धनराशि की मांग उपरोक्त मानक मद में प्रस्तावित की गयी है। विगत पांच वर्षो का विवरण निम्न तालिका में अवलोकनीय है।

क्र0	आय–व्ययक के अंतर्गत अनुपूरक सहित प्राविधानित धनराशि का तुलनात्मक विवरण (धनराशि हजार रू0 में)						
	लेखाशीर्षक	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1	राजस्व लेखा	.	.	.	.	.	.
	आयोजनेत्तर	1393315	1497056	1584881	1987479	3068579	3219094
	आयोजनागत	4	4	4	–	–	–
	भारित	800	800	800	800	800	1000
	योग	1393319	1497060	1584885	1987479	3068579	3219094
2	पूंजी लेखा	.	.	.	.	.	.
	आयोजनेत्तर	186178	660393	429291	2141027	2525730	6481730
	आयोजनागत	525475	.	.	.	.	.
	योग	711653	660393	429291	2141027	2525730	6481730
	महायोग	2104972	2157453	2014176	4128506	5594309	9700824
	भारित	800	800	800	800	800	1000

.....0.....

अध्याय–11
निर्माण कार्य

भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण योजना 2002–07 (75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश) के अन्तर्गत जिला कारागार, सिद्धार्थनगर तथा कानपुर देहात के क्रियाशील हो जाने से 1590 बन्दी क्षमता की वृद्वि हुयी है। शेष 06 जनपदों क्रमशः कन्नौज, महराजगंज, बलरामपुर, कौशाम्बी एवं बागपत में जिला कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माणाधीन निम्न कारागारों के निर्माण के पश्चात 3240 बन्दी क्षमता सृजित होगी।

क्र0	कारागार का नाम	बंदी क्षमता	स्वीकृत आंगणन की धनराशि (रू0 करोड़ में)	अवमुक्त धनरशि (रू0 करोड में)		
				योजना में स्वीकृत धनराशि	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
1	जिला कारागार कन्नौज	660	23.8714	17.2814	6.59	23.8714
2	जिला कारागार महराजगंज	540	24.2915	14.0987	9.6928	24.2915
3	जिला कारागार बलरामपुर	420	19.2028	15.5284	3.6145	19.2028
4	जिला कारागार कौशाम्बी	420	18.3856	12.4555	5.9301	18.3856
5	जिला कारागार बागपत	660	20.5669	15.2008	2.7997	20.5669
6	जिला कारागार सोनभद्र	540	17.6434	14.2017	3.4417	17.6434
	योग	3240	–	–	–	–

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से निम्नलिखित जिला कारागारों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र0	कारागार का नाम	स्वीकृत आगणन की धनरशि	प्रस्तावित बदी क्षमता	अवमुक्त धनराशि
1	जिला कारागार, बरेली	136.2824	3558	55.00
2	जिला कारागार, चित्रकूट	55.9368	804	27.37
3	जिला कारागार, अम्बेडकरनगर	65.9680	971	31.88
4	जिला कारागार, कांशीरामनगर	58.8752	1004	28.55
5	जिला कारागार गौतमबुद्धनगर	144.5148	3600	25.00
	योग	461.5772	9937	167.30

कारागार विहीन जनपदों में कारागार निर्माण हेतु भूमि व्यवस्था की स्थिति

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्तावित क्षमता	अभ्युक्ति
1	जि0 का0, कुशीनगर	704	धारा–4 जारी। धारा–6 की कार्यवाही प्रचलित।
2	जि0का0, संतकबीरनगर	382	धारा–6 जारी। भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित। अनुमानित प्रतिकर हेतु प्रस्ताव शासन प्रेषित।
3	जि0 का0, श्रावस्ती	562	दिनांक 07.1.2011 को भूमि का कब्जा प्राप्त।
4	जि0 का0, जे0पी0 नगर।	1074	दि0 07.1.11 को भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।
5	जि0 का0, चन्दौली	624	धारा–4 व 6 की अधिसूचना जारी। कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
6	जि0 का0, संतरविदास नगर	442	2.359 हे0 भूमि विनिमय जिला प्रशासन से अपेक्षित है।
7	जि0 का0, औरैया	819	धारा–4 की अधिसूचना जारी। धारा–6 हेतु प्रस्ताव प्रेषित।
8	जि0 का0, महामायानगर	1034	चयनित भूमि पर कारागार विभाग का कब्जा प्राप्त।
9	जि0 का0, महोबा	–	किसी एक के चयन हेतु दि0 06.1.2011 को पत्र प्रेषित।
10	जि0 का0, छत्रपूति शाहूजी महाराजनगर	–	जिला कारागार के निर्माण हेतु 60 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित।

शहर के मध्य आ गयी कारागारों का स्थानान्तरण

शासन द्वारा शहर के मध्य आ गयी कारागारों को शहर के बाहर स्थानान्तरित कर नयी कारागारों के निर्माण का निर्णय लिया गया। स्थानान्तरण के फलस्वरूप नयी कारागारों की वर्तमान क्षमता, प्रस्तावित क्षमता तथा प्रस्तावित अतिरिक्त बंदी क्षमता का सृजन निम्नवत प्रस्तावित किया गया है।

क्र0	कारागार का नाम	कारागार की वर्तमान क्षमता	प्रस्तावित क्षमता	दिनांक 30.11.10 को बंदी जनसंख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त बंदी क्षमता	कारागारों में ओवर काउडिंग (गुना)
1	जि0 का0 मुरादाबाद	611	2430	2208	1825	3.81
2	जि0 का0 शाहजहांपुर	511	2520	1873	2009	3.38
3	जि0का0 आजमगढ़	320	1320	878	1000	2.38
4	जि0का0 रामपुर	450	1080	730	630	1.76
5	जि0का0 जौनपुर	320	870	687	550	2.26
6	जि0का0 मु0नगर	870	2520	1813	1650	2.25
7	जि0का0 बदायूँ	529	2280	1508	1711	2.94
8	जि0का0 वाराणसी	747	2220	1573	1473	2.55
योग		4358	15240	11270	10848	2.67

———————

अध्याय–12
कारागारों की निरीक्षण व्यवस्था

कारागारों में निरीक्षण व्यवस्था

कारागार व्यवस्था को सुदृण एवं निरन्तर चुस्त–दुरूस्त बनाये जाने हेतु विभाग को 06 परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक परिक्षेत्र को उप महानिरीक्षक कारागार स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में रखा गया है। परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों के लिये पूर्वसूचित एवं आकस्मिक निरीक्षणों की चेक लिस्ट निर्धारित की गयी है। चेक लिस्ट के अनुसार परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों द्वारा कारागारों का निरीक्षण किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर तैनात उच्चाधिकारियों के लिये भी कारागारवार निरीक्षण की व्यवस्था है। निरीक्षण उपरान्त निरीक्षण आख्याओं पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। वर्ष 2007 से प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों (जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक व अन्य) द्वारा कारागारों का औचक निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस व्यवस्था से कारागार की कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार हुये हैं।

वर्ष 2010 में निर्धारित निरीक्षण चेक लिस्ट के साथ–साथ बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण तथा बंदियों के लिये कारागार में निरन्तर रचनात्मक गतिविधियों में लगाये जाने के क्रियाकलापों को भी सम्मिलित किया गया। मुख्यालय स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठकों में अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि वे कारागारों में निरूद्ध बंदियों को प्रदत्त समस्त सुविधायें उपलब्ध करायें। कारागार में कारागार कर्मियों तथा बंदियों में पूर्ण अनुशासन सुनिश्चित किया जाय। जिला स्तर पर पुलिस तथा जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों से निरन्तर समन्वय स्थापित करके कारागार की समस्याओं का समाधान कराया जाये।

मासिक/त्रैमासिक बैठकों का आयोजन

विभागीय क्रियाकलापों की निरन्तर समीक्षा किये जाने हेतु समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों के स्तर पर माह में एक बार निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर की गयी तथा परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों एवं समस्त अधीक्षकों की प्रत्येक त्रैमास पर बैठक आयोजित करके प्रभावी निर्देश निर्गत किये गये।

कारागारों का संयुक्त त्रैमासिक निरीक्षण

प्रदेश की प्रत्येक कारागार में जनपद न्यायाधीश, जिला मैजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त त्रैमासिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों में कारागार की प्रशासनिक व्यवस्था, बंदी सुविधायें, विधिक प्रकरणों आदि का गहन निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के माध्यम से प्राप्त संस्तुतियों/निर्देशों का कारागार/मुख्यालय स्तर से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण

शासन द्वारा कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था एवं तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु जिला मैजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से आकस्मिक निरीक्षण की नीति निर्धारित की गयी। जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा किसी भी समय कारागारों का औचक निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था से कारागारों के अधिकारी/कर्मचारी कारागारों में प्रिजन एक्ट तथा जेल मैनुअल में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार कारागार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखते हैं।

अध्याय–13
विविध

सूचना अधिकार अधिनियम का कियान्वयन

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सुविधा हेतु विभाग में सभी कारागारों तथा परिक्षेत्रीय कार्यालयों व प्रशिक्षण संस्थान में जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीयट अधिकारी नामित हैं। विभाग की अधिकांश सूचनाएं विभाग की वेबसाइट "www.upprisons.up.nic.in" में रखी गयी है। विभाग में विभिन्न स्तर पर वर्ष 2010 में कुल 1232 सूचना आवेदन–पत्र प्राप्त हुये। प्राप्त सभी प्रकरणों में अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये सूचना याचियों को निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये।

बन्दियों के मानवाधिकारों का संरक्षण

कारागार प्रशासन द्वारा जहॉ कारागारों में बंदियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था को बंदियों की मानवीय गरिमा के अनुकूल बनाने हेतु चिंतनशील है। जेल मैनुअल के प्रस्तर 1091, 1092 तथा 1199 में बन्दियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रावधान किये गये है। कारागारों में बंदियों को मात्र अपराधी समझ कर दण्डित करने की पुरानी धारणाएं समाप्त हो रही हैं तथा उन्हें एक मनुष्य के रूप में जीवनयापन के समस्त संसाधनों के आलोक में कारागारों की व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। बन्दियों को दण्ड स्वरूप बेड़ी एवं हथकड़ी लगाने और कृषि फार्मों पर कार्य करने वाले बंदियों के पैरों में कड़िया डालने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई हैं। बंदियों की मृत्यु के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त नोटिसों एवं सामान्य शिकायतों की जॉच तत्परतापूर्वक कराई जाती है और दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित किया जाता है।

बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संदर्भित मामलों के अनुश्रवण आदि के लिये मुख्यालय स्तर पर "मानवाधिकार अनुभाग" गठित किया गया है। प्रत्येक बन्दी के कारागार में प्रवेष के समय ही जेल चिकित्सक द्वारा बन्दी का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने की व्यवस्था के साथ ही जिला चिकित्सालय के विषेषज्ञों की टीम द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम दो बार कारागार के अन्दर ही बन्दियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की गयी है।

कार्मिक प्रशिक्षण

सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में वर्ष 2010 में प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के अधिकारियों के 03 आधारभूत प्रशिक्षणों में 28 अधिकारी, बंदीरक्षकों के 02 आधारभूत प्रशिक्षणों में 59 बंदीरक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त बंदीरक्षकों के 23 अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 283 बंदीरक्षक प्रशिक्षित किये गये।

कारागार विभाग में सुरक्षा कर्मियों की आर्म्स प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण पुलिस विभाग के सहयोग से विभाग के कार्मिकों को पी0टी0सी0 सीतापुर में 15 दिवसीय आर्म्स प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2008 से निरन्तर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 2008 में 4 समूहों में 90 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। वही वर्ष 2009 में 5 समूहों में 130 कर्मियों को आर्म्स प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

बन्दी खेलकूद–स्पोर्टस कैलेण्डर

प्रदेश की कारागारों में बंदियों के लिये खेलकूद की व्यवस्था यथा–वालीवाल, शतरंज, कैरमबोर्ड आदि की पूर्व से भी व्यवस्था रही है। वर्ष 2010 में प्रदेश की सभी कारागारों में खेलकूद का माहौल बनाये जाने तथा बंदियों में उपलब्ध प्रतिभाओं के विकास हेतु वार्षिक खेलकूद कैलेण्डर निर्धारित किया गया। निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार प्रदेश की सभी कारागारों में बंदियों के खेलकूद कार्यक्रम आयोजित हुये। जोनल स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु बनाये गये कुल 09 जोनों (आगरा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर तथा बरेली) में जोनल क्रीड़ा प्रतियोगितायें हो चुकी हैं। इन प्रतियोगिताओं में बंदी द्वारा उत्साह पूर्वक भाग लिया गया है।

आल इण्डिया प्रिजन ड्यूटी मीट–2010

बीपीआर एण्ड डी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में कारागार विभाग, उड़ीसा द्वारा भुवनेश्वर में सभी प्रदेशों के कारागार अधिकारियों की दिनांक 04–06 फरवरी, 2010 को आयोजित 08 प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के 34 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों द्वारा अपने कौशल का अच्छा प्रदर्शन करते हुये निबन्ध प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, क्विज प्रतियोगिता में 02 कांस्य पदक तथा प्राब्लम सालविंग प्रतियोगिता में 02 पदक (01 रजत तथा 01 कांस्य) कुल 05 पदक प्राप्त कर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है।

कारागार प्रकाशन

वर्ष 2008 से निरन्तर कारागार प्रकाशनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जेल मैनुअल के प्रस्तर–940 के प्रावधान के अनुपालन में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तथा प्रिजन्स स्टेटिसटिक्स उत्तर प्रदेश का निरन्तर प्रकाशन कराया जा रहा है। वर्ष 2008 के प्रकाशनों के क्रम में वर्ष 2009 में कारागार कम्पेडियम भाग–2, बन्दियों की समयपूर्व रिहाई से सम्बन्धित हस्त पुस्तिका, उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरूद्व बन्दियों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विषयक हस्त–पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया है। इसके अतिरिक्त कारागार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित हस्तपुस्तिका, प्रशिक्षण हस्तपुस्तिका तथा कारागारों का इतिहास की पुस्तिका तैयार की जा रही है। कारागार विभाग में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के प्रचार–प्रसार हेतु माह जुलाई, 2008 से त्रैमासिक ''उत्तर प्रदेश कारागार बुलेटिन'' का निरन्तर प्रकाशन कराया जा रहा है। इस बुलेटिन में प्रदेश की कारागारों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों तथा कारागार समाचारों के अतिरिक्त बन्दियों तथा जेल कर्मियों व उनके परिजनों की रचनाओं को विशेष स्थान दिया जा रहा है।

सेवानिवृत्त कर्मियों के लम्बित सेवा लाभों का निस्तारण

वर्ष 2010 में प्रत्येक स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मियों के समस्त लम्बित सेवा लाभों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ निस्तारित कराया गया। ऐसे लम्बित सभी प्रकरणों की अधीनस्थ अधिकारियों की मासिक बैठकों में समीक्षा करके तत्काल निस्तारण के आदेश प्रसारित किये गये। इसके साथ ही समस्त नियुक्ति अधिकारियों को यह निर्देश भी प्रसारित किये गये कि वे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लम्बित सेवा लाभ जैसे समयमान वेतनमान, प्रोन्नति वेतनमान, अवकाश स्वीकृति, स्थायीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के लम्बित प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर शून्य के स्तर पर लायें तथा प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर मृतक/सेवानिवृत्त कर्मियों के विभिन्न लम्बित देयकों के निस्तारण हेतु आदेयता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर करायी गयी।

वीडियो कान्फ्रेसिंग योजना

प्रदेश की कारागारों में प्रथम चरण में 07 कारागारों तथा सम्बन्धित माननीय 07 न्यायालयों में विचाराधीन बन्दियों की रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कराये जाने की योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा क्रमशः केन्द्रीय कारागार, नैनी, जिला कारागार, मेरठ, मिर्जापुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर तथा लखनऊ में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाई हेतु चयनित कक्षों में लघु निर्माण/साज–सज्जा के कार्यो हेतु रू0 171.69 लाख की धनराशि राजकीय निर्माण निगम के पक्ष में स्वीकृत की गयी है। जिला कारागार, वाराणसी में कक्ष के निर्माण/साज–सज्जा हेतु एवं 14 वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाईयों के लिये एन0आई0सी0 के माध्यम से उपकरणों की व्यवस्था तथा बीएसएनएल से कनेक्टिविटी की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। यह कार्य आगामी तीन माह में पूर्ण होना संभावित है। विचाराधीन बन्दियों के लिये रिमाण्ड, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कराये जाने से जहॉ बन्दियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिशचित होगी, वही बन्दियों को माननीय न्यायालयों में लाने तथा ले जाने आदि पर व्यय होने वाली धनराशि की बचत भी होगी।

विभाग की आवश्यकताएँ (शासन को प्रेषित महत्वपूर्ण प्रस्ताव)

वर्ष के दौरान कारागार प्रशासन के समस्त विषयों का गहनता से परीक्षण किया गया। विभागीय बैठकों एंव विभाग के वरिष्ठ अधीकारियों से विस्तृत विचार–विमर्श करके विभागीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये गये। शासन को प्रेषित महत्वपूर्ण प्रस्तावों का विवरण निम्नवत है :–

क्र0	विषय	पत्र संख्या व दिनांक
1	उप कारापाल सेवा नियमावली में संशोधन।	20082/अध–1(1) दि0 13.07.09, अनु0 24.11.09
2	सहकारी समितियों को क्रय वरीयता देने विषयक।	5016/उद्योग दिनांक 23.02.10
3	05 नवीन केन्द्रीय कारागार के निर्माण की स्वीकृति	13998/अभि0कक्ष दि0 12.06.08 अनु0– 23.04.10
4	कारागार विभाग के लिये शस्त्र नीति बनाया जाना।	19616/सामा–2/श0नी0 28.07.08 अनु0–26.08.09
5	कारागार विभाग हेतु राइफल एवं कारतूसों की व्यवस्था।	23323/सामा–2(1) दिनांक 04.09.08
6	बन्दियों के उपचार हेतु जेल मैनुअल पैरा 1058 में संशोधन	15635/सामा–1(5) दि0 28.05.09 अनु0– 31.03.10
7	पुरानी जिला कारागार, बुलन्दशहर की भूमि का उपयोग।	2384/नम–3 दि0 30.01.10अनु0– 13.04.10
8	जनपद इलाहाबाद में जिला कारागार का निर्माण।	13999/अभि.कक्ष दि0 12.06.08 अनु0– 18.05.09
9	जिला कारागार, कानपुर नगर का स्थानान्तरण।	24688/नम–5 दि0 17.09.08 अनु0– 19.11.09
10	पैरोल नियमावली, 2007 में संशोधन।	1558/सामा–1(3)/207 16.01.09 अनु0– 31.07.09
11	महिला बन्दियों हेतु 06 महिला कारागारों की स्थापना।	11925/अभि0 कक्ष दिनांक 23.04.09
12	अतिरिक्त कम्बल प्लान्ट लगाया जाना।	1999/उद्योग दि0 20.01.09 अनु0– 03.09.09
13	कारागार मुख्यालय पर विधि प्रकोष्ठ की स्थापना।	15863/प्र0सु0अ0–1 दि. 26.5.10
14	स्वीकृत सीयूजी मोबाइल सेवा में विस्तार की स्वीकृति।	11233/नजारत–3 दि0 15.04.10
15	वीडियो कान्फंसिंग इकाईयों हेतु उपकरणों की स्वीकृति	26296/आधु–1 दि0 20.09 एव दि0 11.10.2010

नये पदो का सृजन

शासन द्वारा वर्ष 2010 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में नवनिर्मित बैरकों के संचालन, कारागारों में महिला बंदीरक्षक संवर्ग में आवश्यकता के दृष्टिगत अतिरिक्त पद तथा कारागार मुख्यालय के संगठनात्मक ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 848 पद सृजित किये गये।

परिशिष्ट–1

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का प्रशासकीय संगठनात्मक ढॉचा

माननीय मुख्यमंत्री
!
प्रमुख सचिव/सचिव
!
महानिदेशक/महानिरीक्षक

अपर महानिरीक्षक (प्रशासन), अपर महानिदेशक (विभागीय) उपमहानिरीक्षक (मु0) वित्त नियंत्रक, निदेशक कारागार उद्योग, वरिष्ठ अधीक्षक, अधिशासी अभियंता, उपनिदेशक (नियोजन, शोध एवं मानीटरिंग), शोध अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, कृषि अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कल्याण अधिकारी (महिला बंदी), विशेष कार्याधिकारी (मानवाधिकार)

अपर महानिदेशक (प्र0/वि0)
सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक
आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद व लखनऊ
मेरठ, लखनऊ तथा इलाहाबाद (आईपीएस)

जेल डिपो

!

केन्द्रीय कारागार (5)	जिला कारागार (51)	आदर्श कारागार (1)	नारी बंदी निकेतन (1)	उप कारागार (3)	किशोर सदन (1)
वरिष्ठ अधीक्षक	वरिष्ठ अधीक्षक	वरिष्ठ अधीक्षक			
अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक			
वरिष्ठ परामर्श दाता	वरिष्ठ परामर्श दाता	वरिष्ठ परामर्श दाता	अधीक्षक		
परामर्श दाता	परामर्श दाता	परामर्श दाता	परामर्श दाता		
कारापाल	कारापाल	कारापाल	कारापाल	कारापाल	कारापाल
उप कारापाल	उप कारापाल	उप कारापाल	उप कारापाल	उप कारापाल	उप कारापाल
पैरामेडिकल स्टाफ	पैरामेडिकल स्टाफ	पैरामेडिकल स्टाफ	पैरामेडिकल स्टाफ	पैरामेडिकल स्टाफ	पैरामेडिकल स्टाफ
बन्दीरक्षक सम्वर्ग	बन्दीरक्षक सम्वर्ग	बन्दीरक्षक सम्वर्ग	बन्दीरक्षक सम्वर्ग	बन्दीरक्षक सम्वर्ग	बन्दीरक्षक सम्वर्ग
शिक्षाध्यापक	शिक्षाध्यापक	शिक्षाध्यापक	शिक्षाध्यापक	शिक्षाध्यापक	शिक्षाध्यापक
अन्य स्टाफ	अन्य स्टाफ	अन्य स्टाफ	अन्य स्टाफ	अन्य स्टाफ	अन्य स्टाफ

.....0.....

परिशिष्ट–2

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग में सृजित, भरे व रिक्त पदों तथा उनके वेतनमान का विवरण

विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान (रु0)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रु0)
1		2	3	4	5	6	7
राजपत्रित							
1	महानिदेशक कारागार*	1	1	0	आई0ए0एस संवर्गानुसार		
2	महानिरीक्षक कारागार (निःसवंर्गीय) *	1	1	0	आई0पी0एस0 संवर्गानुसार		
3	अपर महानिरीक्षक (प्र0) *	1	1	0	वेतनबैण्ड–4	37400-67000	8700
4	उप महानिरीक्षक कारागार (निःसम्वर्गीय) *	3	1	2	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	7600
5	वित्त नियंत्रक	1	1	0	वेतनबैण्ड–4	37400-67000	8700
6	अपर महानिदेशक (वि0)	2	1	1	वेतनबैण्ड–4	37400-67000	8900
7	वरिष्ठ परामर्शदाता	60	20	40	वेतनबैण्ड–4	37400-67000	8700
8	उप महानिरीक्षक कारागार	7	6	1	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	7600
9	परामर्शदाता (चिकित्सक)	60	44	16	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	7600
10	चिकित्साधिकारी	13	13	0	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	7600
11	महिला चिकित्साधिकारी	1	1	0	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	5400
12	रेडियोलाजिस्ट	1	0	1	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	5400
13	निदेशक कारागार उद्योग	1	0	1	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	6600
14	वरिष्ठ अधीक्षक कारागार	21	15	6	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	6600
15	अधिशाषी अभियन्ता	1	1	0	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	6600
16	शोध अधिकारी	1	1	0	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	5400
17	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	5400
18	अधीक्षक कारागार	64	38	26	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	5400
19	सहायक अभियन्ता	1	1	0	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	5400
20	कृषि अधिकारी	1	0	1	वेतनबैण्ड–3	15600-39100	5400
21	सहायक लेखाधिकारी	1	0	1	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4600
22	महानिदेशक के वै0सहा0	3	1	2	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
23	कारापाल	87	55	32	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4800
	योग	327	199	128			
* ये पद योग में सम्मिलित नहीं हैं।							
अराजपत्रित							
1	कल्याण अधिकारी (म0ब0)	1	1	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
2	विशेष कार्याधिकारी (मा0)	1	1	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200

3	प्रवक्ता	4	4	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	3	0	3	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4800
5	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–।	1	0	1	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4600
6	सांख्यकीय सहायक	1	1	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
7	प्रशासनिक अधिकारी	19	6	13	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
8	प्रधानाध्यापक	9	1	8	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4600
9	वैयक्तिक सहायक ग्रेड।।	3	3	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
10	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	2	2	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
11	शोध सहायक	3	0	3	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
12	उप कारापाल	436	216	220	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
13	कृषि निरीक्षक ग्रेड–।	1	0	1	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
14	लेखाकार	1	1	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
15	नर्स	5	3	2	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
16	संगणक	1	1	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
17	अवर अभियन्ता	3	2	1	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
18	आशुलिपिक ग्रेड–।	6	6	0	वेतनबैण्ड–2	9300-34800	4200
19	भवन निरीक्षक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
20	कैशियर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
21	टेन्ट फोरमैन	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
22	मैनेजर जेल डिपो	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
23	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
24	फार्मासिस्ट	134	103	31	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
25	एक्सरे टेक्नीशियन	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
26	एक्सरे टेक्नीशियन	3	3	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
27	वरिष्ठ सहायक (मु0)	65	46	19	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
28	वरिष्ठ सहायक (कारागार)	57	54	3	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
29	खेलकूद प्रशिक्षक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
30	हैण्ड मेड पेपर इन्सट्रक्टर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
31	सोप फिनायल इंस्ट्रक्टर	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
32	प्लम्बरिंग इन्सट्रक्टर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
33	ब्लीचिंक डाइंग एण्ड कैलिकों प्रशिक्षक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
34	मशीन इन्सट्रक्टर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
35	प्रधान सिलाई मशीन मैकेनिक	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
36	अध्यापक	58	46	12	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
37	पेंसिल मेकिंग इन्सट्रक्टर	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
38	लेखा परीक्षक	2	1	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800

39	ड्राफ्टमैन	2	2	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
40	सेनेटरी इन्सपेक्टर	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
41	सहायक लेखाकार	63	47	16	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
42	लैब टेक्नीशियन	6	6	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2800
43	कालीन डिजाइनर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
46	आशुलिपिक ग्रेड–।।	11	11	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
47	रंगाई प्रशिक्षक	2	2	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
48	दरी डिजाइनर	7	7	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
49	उन कताई प्रशिक्षिक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
50	अन्तर्कारा मुख्य प्र0ब0र0	6	5	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
51	पी0टी0आई0	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
52	रिजर्व मुख्य प्र0बं0र0	6	5	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
53	बुनाई प्रशिक्षक(प्रशिक्षित)	6	3	3	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
54	भ्रमणकारी बुंनाई प्रशिक्षक(प्रशि)	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
55	कम्बल बुनाई मास्टर (प्रशि0)	2	2	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
56	अम्बर कताई प्रशिक्षक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
57	बढ़ई प्रशिक्षक(प्रशिक्षित)	3	3	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
58	मिलिट्री ड्रिल इन्सट्रक्टर	2	0	2	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
59	विद्युत चलित सिलाई मशीन मैकेनिक (प्रशिक्षित)	2	2	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2400
60	बेंत प्रशिक्षक	2	0	2	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
61	आयल मिल मैकेनिक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
62	पावरलूम मैकेनिक	2	0	2	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
63	भ्रमणकारी फ्लोर मिलमिस्त्री	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
64	अन्तर्कारा प्र0बं0र0	944	498	446	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
65	रिजर्व प्र0बं0र0	130	89	41	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
66	महिला हेड वार्डर	156	40	116	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
67	आटा चक्की मिस्त्री	58	58	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
68	कृषि पर्यवेक्षक	11	10	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
69	चर्म उद्योग प्रशिक्षक	3	2	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
70	लोहारगिरी प्रशिक्षक (प्रशिक्षित)	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
71	लोहारगिरी प्रशिक्षक (अप्रशि0)	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
72	प्रिन्टिग प्रेस प्रशिक्षक	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
73	भ्रमणकारी बुंनाई प्रशिक्षक (अप्रशिक्षित)	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
74	विद्युतचालित सिलाई मशीन मैकेनिक (अप्रशि0)	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900

75	रंगाई प्रशिक्षक	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
76	बढ़ई प्रशिक्षक (अप्रशिक्षित)	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
77	सिलाई मास्टर (प्रशिक्षित)	4	3	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
78	भ्रमणकारी रंगाई प्रशिक्षक	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
79	भ्रमणकारी दरी प्रशिक्षक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
80	पम्प मैकेनिक	3	2	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
81	कनिष्ठ सहायक (मु0)	46	51	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
82	कनिष्ठसहायक/टंकक(का0)	134	137	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	2000
83	उर्दूअनुवादक/कनिष्ठ लि0	30	29	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
84	फार्म लिपिक	5	5	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
85	जीप/जिप्सी चालक	20	19	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
86	मैसन टीचर	20	13	7	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
87	एम्बुलेंस चालक	27	24	3	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
88	ट्रैक्टर चालक	18	17	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
89	ट्रक चालक	7	8	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
90	मिनी बस चालक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
91	बैन्ड मास्टर	2	2	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
92	मैकेनिक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
93	अम्बर चर्खा प्रशिक्षक	11	0	11	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
94	मैकेनिक कम सुपरवाइजर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
95	लेदर वर्क इन्सट्रक्टर	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
96	पालीशर	2	2	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
97	सेल्समैन जेल डिपो	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
98	क्लर्क कम स्टोर कीपर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
99	सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षिका	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
100	बैण्ड सा इन्सट्रक्टर	2	1	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
101	कालीन इन्सट्रक्टर	2	2	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
102	दरी विविंग मास्टर	2	2	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
103	टेलर (दर्जी) सुल्तानपुंर	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
104	स्टाफ कार चालक	8	10	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
105	टेन्ट सुपरवाइजर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
106	पाकशाला प्रबन्धक	1	0	1	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
107	वार्डर रिजर्व	675	529	146	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
108	वार्डर अन्तर्कारा	5545	3939	1606	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
109	वार्डर महिला	626	199	427	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
110	टेन्ट टेलरिंग इन्स्ट्रेक्टर	1	1	0	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
111	विद्युत कार	16	14	2	वेतनबैण्ड–1	5200-20200	1900
112	नलकूप चालक	7	6	1	1–एस0	4400-7440	1800

113	टेलर	3	3	0	1–एस0	4400-7440	1800
114	दफ्तरी	4	4	0	1–एस0	4400-7440	1800
115	हेड चपरासी	5	1	4	1–एस0	4400-7440	1800
116	सिलाई मास्टर(अप्रशिक्षित)	1	0	1	1–एस0	4400-7440	1900
117	दृष्टिहीन कुर्सी बुनकर	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
118	हेडमाली	2	1	1	1–एस0	4400-7440	1800
119	कामदार	4	4	0	1–एस0	4400-7440	1800
120	डार्करूप अटेण्डेन्ट	21	12	9	1–एस0	4400-7440	1800
121	अर्दली	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
122	चपरासी (मु0)	35	23	12	1–एस0	4400-7440	1800
123	माली	16	29	0	1–एस0	4400-7440	1800
124	धोबी	2	2	0	1–एस0	4400-7440	1800
125	लैब अटेन्डेन्ट	27	24	3	1–एस0	4400-7440	1800
126	चौकीदार (मु0)	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
127	चौकीदार (कारा0)	67	106	0	1–एस0	4400-7440	1800
128	स्वच्छकार	250	218	32	1–एस0	4400-7440	1800
129	खलासी(एसजेटीआई)	3	2	1	1–एस0	4400-7440	1800
130	चौकीदार (जेल डिपो)	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
131	सेल्स अटेन्डेन्ट	2	1	1	1–एस0	4400-7440	1800
132	गाडीवान	17	17	0	1–एस0	4400-7440	1800
133	की मैन	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
134	चरवाहा	12	12	0	1–एस0	4400-7440	1800
135	चपरासी(एसजेटीआई)	3	3	0	1–एस0	4400-7440	1800
136	चपरासी (जेल डिपो)	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
137	वाटर कैरियर पनिहा (मृत संवर्ग)	64	77	0	1–एस0	4400-7440	1800
138	कहार	3	4	0	1–एस0	4400-7440	1800
139	चिकित्सा अर्दली	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
140	गार्डन कुली	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
141	नाई	30	32	0	1–एस0	4400-7440	1800
142	फर्राश	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
143	नर्सिंग अर्दली	9	9	0	1–एस0	4400-7440	1800
144	फालोवर	8	4	4	1–एस0	4400-7440	1800
145	मिश्ती	1	1	0	1–एस0	4400-7440	1800
योग		10095	6932	3242			
महायोग		10422	7131	3370			

.....0.....

परिशिष्ट–3

कारागारवार सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों की औसत जनसंख्या का विवरण

सं0	कारागारें	2008			2009			2010		
		सिद्धदोष	विचाराधीन	योग	सिद्धदोष	विचाराधीन	योग	सिद्धदोष	विचाराधीन	योग
1	आदर्श कारागार लखनऊ	298	0	298	299	0	299	376	00	376
2	नारी बन्दी निकेतन	149	0	149	146	24	171	221	80	301
3	किशोर सदन बरेली	15	0	15	9	0	9	10	00	10
4	नैनी– केन्द्रीय कारागार	-	-	-	1484	8	1492	1371	04	1375
	जनपद इलाहाबाद	-	-	-	414	1715	2129	598	1588	2186
	जनपद कौशाम्बी	-	-	-	44	533	576	65	537	602
	योग	1956	2115	4071	1942	2255	4197	2034	2129	
5	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	2162	36	2198	1758	15	1773	2255	14	2269
6	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	2961	3	2964	2382	1	2383	3108	01	3109
7	केन्द्रीय कारागार बरेली	2863	12	2874	3114	22	3135	3019	36	3055
8	केन्द्रीय कारागार आगरा	2445	50	2495	2030	31	2061	2208	16	2224
9	जिला कारागार आगरा	172	1448	1620	246	1720	1966	264	2108	2372
10	जिला कारागार फिरोजाबाद	102	1102	1204	306	1160	1466	455	1015	1470
11	जिला कारागार मैनपुरी	80	694	774	129	678	807	88	665	753
12	जिला कारागार मथुरा	146	795	941	153	857	1010	173	781	954
13	अलीगढ जनपद अलीगढ	-	-	-	348	1557	1905	376	1452	1828
	जनपद महामायानगर	-	-	-	82	453	536	76	504	580
	योग	288	1915	2203	430	2010	2440	452	1956	
14	एटा –जनपद एटा	-	-	-	117	827	944	122	920	1042
	जनपद काशीरामनगर	-	-	-	53	428	481	11	304	315
	योग	97	1121	1218	170	1255	1425	132	1224	
15	जिला कारागार झांसी	106	672	778	118	668	786	144	672	816
16	जिला कारागार ललितपुर	23	251	274	46	238	284	38	227	265
17	जिला कारागार उरई	118	522	641	150	470	620	120	433	553
18	जिला कारागार बरेली	168	1681	1849	289	1875	2163	472	1512	1984
19	जिला कारागार बदायूँ	110	1363	1473	166	1363	1529	218	1351	1569
20	जिला कारागार शाहजहांपुर	189	1494	1683	210	1489	1699	220	1618	1838
21	जिला कारागार पीलीभीत	88	719	806	154	697	852	229	644	873
22	मुरादाबाद.जनपद मुरादाबाद	-	-	-	136	1496	1632	177	1330	1507
	जनपद जे0पी0 नगर	-	-	-	75	556	630	74	599	673
	योग	200	2099	2299	211	2052	2263	222	1954	
23	जिला कारागार रामपुर	101	667	768	104	632	736	140	598	738
24	जिला कारागार बिजनौर	109	618	726	210	666	876	244	825	1069
25	जिला कारागार लखनऊ	350	2576	2926	393	2657	3050	366	2374	2740
26	जिला कारागार रायबरेली	73	825	899	86	833	919	97	714	811
27	जिला कारागार उन्नाव	182	917	1099	255	1002	1257	304	1034	1338
28	जिला कारागार हरदोई	255	1140	1395	392	1178	1570	330	949	1279
29	जिला कारागार सीतापुर	297	1798	2095	258	1881	2138	362	1649	2011
30	जिला कारागार खीरी	133	1485	1618	155	1521	1676	159	1319	1478
31	इटावा जनपद इटावा	-	-	-	189	654	843	188	743	931
	जनपद औरैया	-	-	-	56	314	371	63	415	478
	योग	101	853	954	245	968	1213	229	988	

सं0	कारागारें	2008			2009			2010		
		सिद्धदोष	विचाराधीन	योग	सिद्धदोष	विचाराधीन	योग	सिद्धदोष	विचाराधीन	योग
32	फतेहगढ़– जनपद फतेहगढ	-	-	-	193	835	1027	137	831	968
	जनपद कन्नौज	-	-	-	124	365	489	89	443	532
	योग	145	1090	1236	317	1200	1517	217	1216	
33	जिला कारागार कानपुर	300	2116	2417	486	1882	2368	340	1883	2223
34	जिला कारागार कानपुर दे0	68	533	601	277	743	1019	200	780	980
35	जिला कारागार बुलन्दशहर	255	1261	1516	388	1267	1655	349	1142	1491
36	मेरठ जनपद मेरठ	-	-	-	261	1596	1857	422	1567	1989
	जनपद बागपत	-	-	-	57	494	551	93	511	604
	योग	226	2098	2324	319	2089	2408	498	2009	
37	गाजियाबाद जन0गाजिय0	-	-	-	296	2514	2810	255	2373	2628
	जनपद गौतमबुद्धनगर	-	-	-	169	1374	1543	150	1248	1398
	योग	329	3471	3800	465	3888	4353	376	3634	
38	जिला कारागार सहारनपुर	229	788	1016	299	740	1039	280	751	1031
39	उप का0 देवबन्द	7	125	132	19	139	158	46	404	450
40	जिला कारागार मु0 नगर	167	1602	1768	293	1576	1869	324	1475	1799
41	जिला कारागार फतेहपुर	197	806	1003	272	785	1056	341	680	1021
42	जिला कारागार प्रतापगढ़	87	475	562	118	569	687	159	630	789
43	वाराणसी जनपद वाराणसी	-	-	-	235	1266	1501	272	1346	1618
	जनपद चन्दौली	-	-	-	71	250	321	78	291	369
	योग	282	1404	1686	306	1516	1823	314	1651	
44	जिला कारागार गाजीपुर	114	495	608	134	522	656	69	511	580
45	जिला कारागार जौनपुर	74	436	510	143	526	669	94	700	794
46	मिर्जापुर जनपद मिर्जापुर	-	-	-	79	358	437	57	370	427
	जनपद सोनभद्र	-	-	-	72	403	475	60	405	465
	योग	74	728	802	151	761	912	105	713	
47	उप कारागार ज्ञानपुर	49	160	209	70	168	238	56	166	222
48	बांदा जनपद बांदा	-	-	-	145	563	709	146	526	672
	जनपद चित्रकूट	-	-	-	79	342	421	52	286	338
	योग	179	911	1090	224	905	1130	207	772	
49	उप कारागा महोबा	59	315	374	90	276	366	70	283	353
50	जिला कारागार हमीरपुर	83	470	553	82	481	563	71	468	539
51	गोरखपुर जन0गोरखपुर	-	-	-	236	874	1110	264	821	1085
	जनपद महराजगंज	-	-	-	37	296	333	81	321	402
	योग	179	1265	1445	272	1170	1443	351	1168	
52	देवरिया –जनपद देवरिया	-	-	-	107	355	462	68	385	453
	जनपद कुशीनगर	-	-	-	96	422	518	103	544	647
	योग	132	852	985	203	777	980	144	823	
53	बस्ती –जनपद बस्ती	-	-	-	171	369	540	182	396	578
	जनपद संते कबीरनगर	-	-	-	8	140	148	35	243	278
	योग	113	491	604	179	509	687	212	531	
54	जि0 का0 सिद्धार्थ नगर	103	214	317	387	249	636	446	301	747
55	फैजाबाद –जनपद फैजाबाद	-	-	-	277	658	935	256	652	908
	जनपद अम्बेडकरनगर	-	-	-	123	366	490	176	326	502
	योग	444	965	1409	400	1024	1424	396	961	

सं0	कारागारें	2008			2009			2010		
		सिद्धदोष	विचाराधीन	योग	सिद्धदोष	विचाराधीन	योग	सिद्धदोष	विचाराधीन	योग
56	जिला कारागार बाराबंकी	280	841	1121	346	1180	1526	332	856	1188
57	जिला कारागार सुल्तानपुर	142	686	828	166	771	937	208	801	1009
58	बहराइच –जनपद बहराइच	-	-	-	108	800	908	119	799	918
	जनपद श्रावस्ती	-	-	-	44	276	320	74	280	354
	योग	79	1038	1117	152	1076	1228	156	1012	
59	गोण्डा –जनपद गोण्डा	-	-	-	229	751	979	189	568	757
	जनपद बलरामपुर	-	-	-	85	272	357	128	438	566
	योग	274	957	1231	313	1023	1336	315	954	
60	जिला कारागार आजमगढ़	116	671	787	136	660	796	117	657	774
61	जिला कारागार मऊ	53	367	420	84	423	507	118	473	591
62	जिला कारागार बलिया	99	400	499	169	423	592	217	419	636
	महायोग	21275	57002	78277	23814	59536	83350	25968	57782	83750

----------0----------

परिशिष्ट–4

भोजन का मानक (प्रति बन्दी, प्रति दिन/प्रतिमाह का विवरण)

क्र0	मद	सिद्धदोष (मात्रा ग्राम में)					विचाराधीन (मात्रा ग्राम में)				
		प्रति दिन	सप्ताह में			माह में तीन बार	प्रति दिन	सप्ताह में			माह में तीन बार
			एक बार	दो बार	तीन बार			एक बार	दो बार	तीन बार	
1	आटा	700	–	–	–	–	540	–	–	–	–
2	चावल	–	–	235	–	–	–	–	235	–	–
3	दाल	90	–	–	–	–	90		–	–	–
4	राजमा	–	15	–	–	–		15	–	–	–
5	सब्जी	230	–	–	–	–	230		–	–	–
6	सोयाबीन	–	10	–	–	–		10	–	–	–
7	उरद बरी	–	15	–	–	–		15	–	–	–
8	उरद की बरी के लिये तेल	–	02	–	–	–		02	–	–	–
9	तेल छौंका	15	–	–	–	–	15		–	–	–
10	हल्दी	01	–	–	–	–	01		–	–	–
11	मिर्च	0.5	–	–	–	–	0.5		–	–	–
12	गरम मसाला	0.25	–	–	–	–	0.25		–	–	–
13	नमक	14	–	–	–	–	14		–	–	–
14	गुड़	45	–	–	–	–	45		–	–	–
15	चाय	1.5	–	–	–	–	1.5		–	–	–
16	चीनी	10	–	–	–	–	10		–	–	–
17	दूध	25	–	–	–	–	25		–	–	–
18	दलिया	–	–	–	60	–	–	–	–	60	–
19	दलिया की चीनी	–	–	–	30	–	–	–	–	30	–
20	चना नास्ता	–	–	45	–	–	–	–	45	–	–
21	नमक नास्ता	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–
22	मिर्च नास्ता	–	–	0.5	–	–	–	–	0.5	–	–
23	तेल नास्ता	–	–	01	–	–	–	–	01	–	–
24	अमचूर	–	–	02	–	–	–	–	02	–	–
25	सूजी हलवा	–	–	–	–	30	–	–	–	–	30
26	डालडा	–	–	–	–	15	–	–	–	–	15
27	चीनी	–	–	–	–	40	–	–	–	–	40
28	डालडा पूरी का	–	–	–	–	90	–	–	–	–	90
29	आलू नास्ता (चने के साथ)	–	–	25	–	–	–	–	25	–	–
30	बन्द	–	–	01 नग	–	–	–	–	01 नग	–	–